

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/51

गेट सं० 38/Spl

किच्छा

परिशिष्ट - "क-I "

किच्छा स्टेशन पर स्थित ट्रैफिक समपार फाटक संख्या 38 श्रेणी "स्पेशल" के संचालन हेतु अनुदेश -

1. विवरण

1.1 सामान्य -

1	समपार फाटक की संख्या	38 / स्पेशल
2	इन्जीनियरिंग / ट्रैफिक	ट्रैफिक
3	अधीन स्टेशन अधीन / रेल पथ निरीक्षक	स्टेशन अधीक्षक / किच्छा
4	किलोमीटर पर स्थित	46 / 7.8
5	स्टेशन	किच्छा
6	स्टेशन मध्य	किच्छा-बहेड़ी
7	बी०जी० / एम०जी० / एन०जी०	बी०जी०
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाकड / नान इण्टरलाकड	इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	अप होम एवं डाउन होम सिगनल तथा डाउन प्रस्थान सिगनलों से इन्टर लाक
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
	(i) अप साइड	
	(ii) डाउन साइड	
13	संकेतन व्यवस्था	क्लर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन / घंटी	टेलीफोन स्टेशन मास्टर / किच्छा से
15	समपार फाटक की चौड़ाई	9.00 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन०एच० / एस०एच० / अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	किच्छा नदी
18	पक्का / कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	नैनीताल किच्छा नदी
20	सड़क की चौड़ाई	9.00 मीटर
21	सड़क का कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए)	समकोण
22	सड़क का ढाल यदि कोई हो	
	(i) पूर्व / उत्तर की तरफ	1 : 20
	(ii) पश्चिम / दक्षिण की तरफ	1 : 20
23	सड़क का प्रकार (सीधा / गोलाई)	
	(i) पूर्व / उत्तर की तरफ	सीधा
	(ii) पश्चिम / दक्षिण की तरफ	सीधा
24	हाइट गेज का प्राविधान	नहीं
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	9.00 मीटर
27	समपार के मध्य सड़क का सतह	समतल
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	9.00 मीटर
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

31	टी0वी0यू0	3060 अप्रैल 2010
32	अगली गणना की तिथि	अप्रैल – 2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है
34	गेटमैनो की संख्या	तीन
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	लालकुआ
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	गेट से आधा किमी0
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ / नहीं	हॉ

1.2 उपकरण –

क्रम.सं.	सामग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती (तिरंगी)+ K. Oil	01 + 02
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चैन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	फ्यूजी	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा / बेल्टा	01
13	दुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी / पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चैन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 सम्मिलित है।
संचालन नियम संख्या इज्जत/51
जारी तिथि

गेट सं० 38/Spl
लागू तिथि

किच्छा

1.3. गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –

- (1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।
- (2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।
- (3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची
- (4) डियूटी रोस्टर ।
- (5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।
- (6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।
- (7) दुर्घटना रजिस्टर ।
- (8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।
- (9) निरीक्षण पुस्तिका ।
- (10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

1.4 गेटमैन के कर्तव्य :

(1) सावधानी

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा। समपार फाटक की चाभी गेटमैन के व्यक्तिगत कब्जे में रहेगी।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेट मैन दायें हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी उण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेट मैन की नियमित ड्यूटी

- (i) गेट मैन जब समपार फाटक, आपात स्थिति अथवा अवरोध की स्थिति में रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।
- (iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।
- (iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

(रितेश गुप्ता)
मसिदूर्ई/इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

- (v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे—हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (vi) गेट मैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी—टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।
- (vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।
- (viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर/**किच्छा**, गैंग मैन अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।
- (x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्रियूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
- (xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।
- (xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।
- (xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।
- (xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।
- (xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।
- (4) **ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य**
यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा
- (i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव—भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेंकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर/**किच्छा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान—प्रदान करते हुए तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर—नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।

- (v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर/किच्छा को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।
- (5) **आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही**
- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर/किच्छा को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/किच्छा कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा

(अ) **इकहरी लाइन पर**

- (i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।
- (ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।
- (iii) गेट मैन तब पटाखे, फ्यूजी और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है। तब समपार/अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।
- (v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जेसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त गेट मैन फ्यूजी जलाकर लगा देगा जिससे ड्राइवर सचेत हो जाय तथा आने वाली ट्रेन को गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 सम्मिलित है।
संचालन नियम संख्या इज्जत/51
जारी तिथि

गेट सं० 38/Spl
लागू तिथि

किच्छा

- (ब) गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही
- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे—वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन स्टेशन मास्टर —**किच्छा** को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश -

2.1 संचालन पद्धति -

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फँस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक करने के लिए चाबी 'ई' प्रकार के लाक से चाबी "क्यू-1" को घुमाकर निकाल लेगा तथा इसे बूम लाक लीवर संख्या 1 पर लगे 'ई' प्रकार के लाक चाबी 'क्यू-1' लगाकर क्लाकवाइज धुमायेगा जो लीवर को मुक्त करेगी। लीवर को विपरीत दिशा में खींचने से बूमों को क्षैतिज स्थिति में पाशित करेगा। चाबी 'क्यू' चाबी बूम **KLCR** से निकालने के बाद सिरे पर वेल्डिंग एवं रिवीट की हुई **KLCR** की चाबी को गेटलाज में लगे **KLCR** में लगाकर क्लाक वाइज घुमाएगा जिससे स्टेशन मास्टर पैनल पर प्रदत्त इस गेट के बन्द होने की पुष्टि स्वरूप एक इंडिकेशन मिलेगा।

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेट लॉज में प्रदत्त **KLCR** पर लाक फ्री इंडिकेशन मिलने के बाद **KLCR** पर लगे बटन को दबाकर गेटमैन चाबी 'क्यू' को **KLCR** से एण्टि क्लाक वाइज घुमाकर निकाल लेगा। गेटमैन 'क्यू' चाबी को बूम लाक लीवर में लगाकर लीवर को नार्मल स्थिति में करके चाबी 'क्यू-1' निकाल लेगा जिससे विंच में लगाकर विंच को उल्टी दिशा में तब तक संचालित करेगा जब तक कि बूम लम्बवत न खड़ा हो जाये।

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नहीं रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रखना चाहिए।

2.2 गेट मैन को सूचित करना :-

1. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा**, किसी गाड़ी के लिये आगमन अथवा डाउन गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनल आफ करने से पहले गेटमैन को टेलीफोन द्वारा गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा तथ गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय बतायेगा।

स्टेशन मास्टर/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग-बुक में निम्न प्रकार करेगा -

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक :-

तिथि	गाड़ी सं०	गेटमैन को सूचित करने का समय	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4

(रितेश गुप्ता)
मसिदूई/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

गेटमैन की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं०	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करने / की-ट्रॉसमित करने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय / समपार खोलने का समय	गेटमैन का हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

- गेटमैन गेट को बन्द करके चाबी स्टेशन मास्टर-**किच्छा** को हस्तान्तरित करेगा।
- इसके बाद स्टेशन मास्टर/**किच्छा** द्वारा आगमन अथवा प्रस्थान सिगनलों को आफ किया जायेगा।
- सड़क यातायात को अधिक विलम्ब न हो यह सुनिश्चित करने के लिये स्टेशन मास्टर-**किच्छा** गेटमैन को गेट बन्द करने के लिये तभी सूचित करेगा जब वह यह सुनिश्चित कर लेगा कि गाड़ी प्रस्थान के लिये पूर्णतया तैयार है।
- जब किसी गाड़ी को स्टेशन से / को पायलट करना हो अथवा कोई शंटिंग मूवमेन्ट करना करना हो तो गाड़ी पायलट करने अथवा शंटिंग कार्य के लिये नियुक्त कर्मचारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह समपार फाटक पार करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है।

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलिफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर-**किच्छा** निम्न कार्यवाही करेगा :-

- कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े। बड़ी लाइन की गाड़ियों के लिये यदि गेट सिगनल आन हैं तो ड्राइवर गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है।
- तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।
- लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नहीं दिखायी देता हैं तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रुककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द हैं तो सहायक लोको पायलट 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नहीं हैं तो सहायक ड्राइवर समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में ड्राइवर सहायक गार्ड की सहायता लेगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन रवराब होने की सूचना देगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा**, सिगनल एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 सम्मिलित है।

संचालन नियम संख्या इज्जत/51

गेट सं० 38/Spl

किच्छा

- 7 सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।
- 8 इन्टरलाक गेट होने के कारण यदि पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन नहीं मिलता है तो गेटमैन को किसी सक्षम कर्मचारी द्वारा सूचना भेजकर गेट बन्द कराया जायेगा अथवा गाड़ियाँ पायलट की जायेगी।

2.4 लिपिटिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता -

- जब लिपिटिंग बैरियर गेट खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित स्टेशन मास्टर/किच्छा को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिपिटिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहा है। इस स्थिति में गेट को नान-इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
- बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।
- गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैंग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
- सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के ड्राइवर को दिरवायेगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- जब गाड़ी बहेड़ी की तरफ से आने वाली है, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा स्टेशन मास्टर-बहेड़ी को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान के द्वारा सूचित करेगा कि टेलीफोन खराब है।
- तत कार्यरत स्टेशन मास्टर-बहेड़ी गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिपिटिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
- सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

टिप्पणी:-सभी आने और जाने वाली गाड़ियों के लोको पायलट को नियमानुसार सिगनलो को ऑन की स्थिति में पार करने के लिए प्राधिकार दिया जायेगा।

2.5 गेट की चाबी गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब चाबी गेट खोलने के लिये बाहर न निकाली जा सके -

- जब गेट चाबी KLCR से बाहर न निकाली जा सके तब गेटमैन तुरन्त स्टेशन मास्टर/किच्छा को प्राइवेट नम्बर के साथ सूचित करेगा। स्टेशन मास्टर/किच्छा पैनल कक्ष में स्थापित पार्किंग एच०के०टी० से आपात चाबी 'क्यू ई' को निकाल कर गेट पर भेजेगा तथा स्टेशन मास्टर निम्न लाग रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा-

क्र०सं०	तिथि	गेट संख्या	चाबी संख्या	चाबी भेजने का समय	प्रयोग का कारण
1	2	3	4	5	6

- कार्यरत गेटमैन चाबी 'क्यू ई' को बूम लाक लीवर में लगाकर बूम को अन लाक करेगा तथा पैरा 2.1 में दी गयी विधि से समपार फाटक को खोलेगा। इस स्थिति में गेट को नान-इन्टरलाक समझना चाहिए ओर उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर-किच्छा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

(रितेश गुप्ता)
मसिदूर्ई/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 सम्मिलित है।

संचालन नियम संख्या इज्जत/51

गेट सं० 38/Spl

किच्छा

4. कार्यरत स्टेशन मास्टर—**किच्छा**, कार्यरत स्टेशन मास्टर—**बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान—प्रदान करके सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर—**बहेड़ी** गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।
- 2.6 **गेट की चाबी गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना :-**
 1. जब गेट की चाबी विंच से बाहर निकाली जा सके तब गेट मैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर—**किच्छा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान—प्रदान करते हुए सूचित करेगा।
 2. इस परिस्थिति में गेट को नान—इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
 3. गेटमैन चेन एवं तालों द्वारा गेट को बन्द कर देगा तथा गाड़ियों को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।
 4. कार्यरत स्टेशन मास्टर—**किच्छा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
 5. कार्यरत स्टेशन मास्टर—**किच्छा**, कार्यरत स्टेशन मास्टर—**बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान—प्रदान करके सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर—**बहेड़ी** गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करके वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
 6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
 7. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।
- 2.7 **समपार फाटक पर अवरोध** —1. यदि कोई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल आपात कालिन स्वीच के द्वारा गेट रक्षित करने वाले सिगनल को आन स्थिति में कर देगा। आपात कालिन स्वीच की संचालन विधि निम्न प्रकार है —
आपात कालिन स्विच:—आपात कालिन समय में गेट रक्षित करने वाले सिगनल को आफ से आन स्थिति करने के लिए समपार संख्या **38/Spl** पर एक स्विच का प्रावधान है। यह स्विच एक ग्लास लगे सील बन्द केस में लगा है आपात स्थिति में गेट मैन इस ग्लास को तोड़कर स्विच को दाहिनी ओर धुमाकर सिगनल को आन स्थिति में कर देगा। गेटमैन इसका विवरण पैरा 2.2 में दिये गये लागू रजिस्टर के रिमार्क कालम सं० 6 में अंकित करेगा तत्पश्चात् कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। आपात स्थिति समाप्त हो जाने के बाद गेटमैन को स्विच को नार्मल कर देगा तथा ग्लास केस में लगे ग्लास को बदल कर S&T द्वारा पुनः सील कर दिया जायेगा।
2. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
3. यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** से कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
4. गेटमैन पटाखा तथा दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल फ्लैसिंग हाथ बत्ती लेकर तेजी से जिस तरफ गाड़ी का आगमन संभावित है, की तरफ रेल पथ को 'गेट मैनु' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संख्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेगा।

(रितेश गुप्ता)
मसिदूर्ई/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 सम्मिलित है।
संचालन नियम संख्या इज्जत/51
जारी तिथि

गेट सं० 38/Spl
लागू तिथि

किच्छा

5. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
6. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिरवकर स्टेशन मास्टर/किच्छा को सूचित करेगा तथा स्टेशन मास्टर/किच्छा तब तक गाड़ी को नहीं चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहे हैं।
7. कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा कार्यरत स्टेशन मास्टर/बहेड़ी को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
8. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा को सूचित
9. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
10. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाड़ियों को दिरवायेगा।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर-किच्छा जिम्मेदार सिगनल एवं दूर संचार स्टाफ को गेट के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
12. सामान्य स्थिति केवल सिगनल एवं दूर संचार स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.9 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध –

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा मद संख्या 2.5 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेंगे यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नहीं दिया जाय।

(रितेश गुप्ता)
मसिदूर्इ/इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
संचालन नियम संख्या इज्जत/51
जारी तिथि

गेट सं० 39/C
लागू तिथि
परिशिष्ट - "क-II "

किच्छा

**किच्छा स्टेशन पर स्थित ट्रैफिक समपार फाटक संख्या 39 श्रेणी "सी" के संचालन हेतु
अनुदेश -**

1. विवरण
1.1 सामान्य -

1	समपार फाटक की संख्या	39 / सी
2	इन्जीनियरिंग / ट्रैफिक	ट्रैफिक
3	अधीन स्टेशन अधीन / रेल पथ निरीक्षक	स्टेशन अधीक्षक / किच्छा
4	किलोमीटर पर स्थित	47 / 7-8
5	स्टेशन	किच्छा
6	स्टेशन मध्य	किच्छा-पन्तनगर
7	बी०जी० / एम०जी० / एन०जी०	बी०जी०
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाकड / नान इण्टरलाकड	इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	अप एवं डाउन होम सिगनल तथा अप प्रस्थान सिगनल से इन्टर लाक
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
	(i) अप साइड	
	(ii) डाउन साइड	
13	संकेतन व्यवस्था	क्लर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन / घंटी	टेलीफोन स्टेशन मास्टर / किच्छा से
15	समपार फाटक की चौड़ाई	7.30 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन०एच० / एस०एच० / अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	भट्टा रोड
18	पक्का / कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	भट्टा रोड
20	सड़क की चौड़ाई	7.30 मीटर
21	सड़क का कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए)	समकोण
22	सड़क का ढाल यदि कोई हो	
	(i) पूर्व / उत्तर की तरफ	समतल
	(ii) पश्चिम / दक्षिण की तरफ	समतल
23	सड़क का प्रकार (सीधा / गोलाई)	
	(i) पूर्व / उत्तर की तरफ	सीधा
	(ii) पश्चिम / दक्षिण की तरफ	सीधा
24	हाइट गेज का प्राविधान	नहीं
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	7.30 मीटर
27	समपार के मध्य सड़क का सतह	समतल
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	7.30 मीटर
29	रोड साइन	नहीं
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

31	टी0वी0यू0	11310 अक्टूबर 2010
32	अगली गणना की तिथि	अक्टूबर – 2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है
34	गेटमैनो की संख्या	03
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	लालकुआ
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	किच्छा में
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हों / नही	हाँ

1.2 उपकरण –

क्रम.सं.	सामग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती (तिरंगी)+ K. Oil	03
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	फ्यूजी	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा / बेलचा	01
13	दुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी / पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चेन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
संचालन नियम संख्या इज्जत/51
जारी तिथि

गेट सं० 39/C
लागू तिथि

किच्छा

1.3. गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –

- (1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।
- (2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।
- (3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची
- (4) डियूटी रोस्टर ।
- (5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।
- (6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।
- (7) दुर्घटना रजिस्टर ।
- (8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।
- (9) निरीक्षण पुस्तिका ।
- (10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

1.4 गेटमैन के कर्तव्य :

(1) सावधानी

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेट मैन दायें हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेट मैन की नियमित ड्यूटी

- (i) गेट मैन जब समपार फाटक, आपात स्थिति अथवा अवरोध की स्थिति में रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।
- (iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।
- (iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

(रितेश गुप्ता)
मसिदूई/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

- (v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे—हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (vi) गेट मैन गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।
- (vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।
- (viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर/किच्छा, गैंग मैन अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।
- (x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्रियूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
- (xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।
- (xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।
- (xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।
- (xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।
- (xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य

- यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा
- (i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर/किच्छा को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झन्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

- (v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रुकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर/किच्छा को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर/किच्छा को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/किच्छा कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा

(अ) इकहरी लाइन पर

- (i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।
- (ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।
- (iii) गेट मैन तब पटाखे, फ्यूजी और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।
- (v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जेसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त गेट मैन फ्यूजी जलाकर लगा देगा जिससे ड्राइवर सचेत हो जाय तथा आने वाली ट्रेन को गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 सम्मिलित है।
संचालन नियम संख्या इज्जत/51
जारी तिथि

गेट सं० 39/C
लागू तिथि

किच्छा

(ब) गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही

- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे—वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन स्टेशन मास्टर —**किच्छा** को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश –

2.1 संचालन पद्धति –

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फँस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक करने के लिए 'ई' प्रकार के लाक से चाबी **पी-1** को घुमाकर निकाल लेगा तथा इसे बूम लाक लीवर संख्या 1 पर लगे 'ई' प्रकार के लाक में चाबी **पी-1** लगाकर क्लाक वाइज घुमाएगा जो लीवर को मुक्त करेगी। लीवर को विपरीत दिशा में खींचने से बूमों को क्षैतिज स्थिति में पाशित करेगा। 'पी' चाबी **KLCR** से निकालने के बाद सिर पर वेल्डिंग एवं रिवीट की हुई **KLCR** की चाबी को गेट लाज में लगे **KLCR** में लगाकर क्लाक वाइज घुमाएगा जिससे स्टेशन मास्टर पैनल पर प्रदत्त इस गेट के बन्द होने की पुष्टि स्वरूप एक इंडिकेशन मिलेगा।

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेट लॉज में प्रदत्त **KLCR** पर लाक फ्री इंडिकेशन मिलने के बाद **KLCR** पर लगे बटन को दबाकर गेटमैन चाबी 'पी' को **KLCR** से एण्टि क्लाक वाइज घुमाकर निकाल लेगा। गेटमैन 'पी' चाबी को बूम लाक लीवर में लगाकर लीवर को नार्मल स्थिति में करके चाबी 'पी-1' निकाल लेगा जिसे विंच में लगाकर विंच को उल्टी दिशा में तब तक संचालित करेगा जब तक कि बूम लम्बवत न खड़ा हो जाये।

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नहीं रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रखना चाहिए।

2.2 गेट मैन को सूचित करना :-

1. कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा, किसी गाड़ी के लिये आगमन अथवा डाउन गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनल आफ करने से पहले गेटमैन को टेलीफोन द्वारा गाड़ी का नम्बर, विवरण, दिशा तथा गेट से गाड़ी पास होने का सम्भावित समय बतायेगा।

स्टेशन मास्टर/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग-बुक में निम्न प्रकार करेगा –

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक :-

तिथि	गाड़ी सं०	गेटमैन को सूचित करने का समय	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4

(रितेश गुप्ता)
मसिदूई/इज्जतनगर

(जे०ए०आजमी)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

गेटमैन की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं०	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करने / की-ट्रॉसमित करने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय / समपार खोलने का समय	गेटमैन का हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

- गेटमैन गेट को बन्द करके चाबी स्टेशन मास्टर-**किच्छा** को हस्तान्तरित करेगा।
- इसके बाद स्टेशन मास्टर/**किच्छा** द्वारा आगमन अथवा प्रस्थान सिगनलों को आफ किया जायेगा।
- सड़क यातायात को अधिक विलम्ब न हो यह सुनिश्चित करने के लिये स्टेशन मास्टर-**किच्छा** गेटमैन को गेट बन्द करने के लिये तभी सूचित करेगा जब वह यह सुनिश्चित कर लेगा कि गाड़ी प्रस्थान के लिये पूर्णतया तैयार है।
- जब किसी गाड़ी को स्टेशन से / को पायलट करना हो अथवा कोई शंटिंग मूवमेन्ट करना करना हो तो गाड़ी पायलट करने अथवा शंटिंग कार्य के लिये नियुक्त कर्मचारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह समपार फाटक पार करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि फाटक सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है।

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर-**किच्छा** निम्न कार्यवाही करेगा :-

- कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े। बड़ी लाइन की गाड़ियों के लिये यदि गेट सिगनल आन हैं तो ड्राइवर गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** स्टेशन मास्टर/**पन्तनगर** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन रवराब है।
- तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/**पन्तनगर** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।
- लोको पायलट को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नहीं दिखायी देता हैं तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रुककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द हैं तो सहायक लोको पायलट 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नहीं हैं तो सहायक लोको पायलट समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में लोको पायलट सहायक गार्ड की सहायता लेगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के लोको पायलट द्वारा टेलीफोन रवराब होने की सूचना देगा।
- कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** सिगनल एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 सम्मिलित है।

संचालन नियम संख्या इज्जत/51

गेट सं० 39/C

किच्छा

- 7 सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।
- 8 इन्टरलाक गेट होने के कारण यदि पैनल पर गेट बन्द होने का इंडिकेशन नहीं मिलता है तो गेटमैन को किसी सक्षम कर्मचारी द्वारा सूचना भेजकर गेट बन्द कराया जायेगा अथवा गाड़ियों पायलट की जायेगी।

2.4 लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता –

1. जब लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित स्टेशन मास्टर/किच्छा को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहा है।
2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।
3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
4. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के लोको पायलट को दिरवायेगा।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
6. जब गाड़ी पन्तनगर की तरफ से आने वाली है, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा स्टेशन मास्टर-पन्तनगर को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान के द्वारा सूचित करेगा कि टेलीफोन खराब है।
7. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर-पन्तनगर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 गेट की चाबी गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब चाबी गेट खोलने के लिये बाहर न निकाली जा सके –

2.5 गेट की चाबी गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब चाबी गेट खोलने के लिये बाहर न निकाली जा सके –

1. जब गेट चाबी KLCR से बाहर न निकाली जा सके तब गेटमैन तुरन्त स्टेशन मास्टर/किच्छा को प्राइवेट नम्बर के साथ सूचित करेगा। स्टेशन मास्टर/किच्छा पैनल कक्ष में स्थापित पार्किंग एच०के०टी० से आपात चाबी 'पीई' को निकाल कर गेट पर भेजेगा तथा स्टेशन मास्टर निम्न लाग रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा-

क्र०सं०	तिथि	गेट संख्या	चाबी संख्या	चाबी भेजने का समय	प्रयोग का कारण
1	2	3	4	5	6

2. कार्यरत गेटमैन चाबी 'पीई' को बूम लाक लीवर में लगाकर बूम को अन लाक करेगा तथा पैरा 2.1 में दी गयी विधि से समपार फाटक को खोलेगा। इस स्थिति में गेट को नान-इन्टरलाक समझना चाहिए ओर उसी के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर-किच्छा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।

(रितेश गुप्ता)
मसिदूई/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 सम्मिलित है।

संचालन नियम संख्या इज्जत/51

गेट सं० 39/C

किच्छा

4. कार्यरत स्टेशन मास्टर-**किच्छा**, कार्यरत स्टेशन मास्टर-**पन्तनगर** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर-**पन्तनगर** गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करके वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.6 गेट की चाबी गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना :-

1. जब गेट की चाबी विंच से बाहर निकाली जा सके तब गेट मैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर-**किच्छा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए सूचित करेगा।
2. इस परिस्थिति में गेट को नान-इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
3. गेटमैन चेन एवं तालों द्वारा गेट को बन्द कर देगा तथा गाड़ियों को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर-**किच्छा** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर-**किच्छा**, कार्यरत स्टेशन मास्टर-**पन्तनगर** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर खराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर-**पन्तनगर** गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करके वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
7. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.7 समपार फाटक पर अवरोध -

1. यदि कोई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल **आपात कालीन स्विच** के द्वारा गेट रक्षित करने वाले सिगनल को आन स्थिति में कर देगा। आपात कालिन स्विच के संचालन की विधि निम्न प्रकार है -
आपात कालीन स्विच:-आपात कालिन समय में गेट रक्षित करने वाले सिगनलो को आफ से आन स्थिति करने के लिए समपार संख्या **39/C** पर एक स्विच का प्रावधान है। यह स्विच एक ग्लास लगे सील बन्द केस में लगा है आपात स्थिति में गेट मैन इस ग्लास को तोड़कर स्विच को दाहिनी ओर धुमाकर सिगनलो को आन स्थिति में कर देगा। गेटमैन इसका विवरण पैरा 2.2 में दिये गये लाग रजिस्टर के रिमार्क कालम सं० 6 में अंकित करेगा तत्पश्चात कार्यरत स्टेमा० को सूचित करेगा। आपात स्थिति समाप्त हो जाने के बाद गेटमैन को स्विच को नार्मल कर देगा तथा ग्लास केस में लगे ग्लास को बदल कर S&T द्वारा पुनः सील कर दिया जायेगा।
2. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
3. यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** से कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
4. गेटमैन पटाखा फ्यूजी तथा दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल पलैसिंग हैण्ड बत्ती लेकर तेजी से जिस तरफ गाड़ी का आगमन संभावित है, की तरफ रेल पथ को 'गेट मैनों' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संख्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेगा।

इसमें संशोधन पर्ची सं० 2 सम्मिलित है।
संचालन नियम संख्या इज्जत/51
जारी तिथि

गेट सं० 39/C
लागू तिथि

किच्छा

5. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
6. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिरवकर स्टेशन मास्टर/किच्छा को सूचित करेगा तथा स्टेशन मास्टर/किच्छा तब तक गाड़ी को नहीं चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहे हैं।
7. कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा कार्यरत स्टेशन मास्टर/पन्तनगर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
8. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा को सूचित
9. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा सभी गाड़ियों के लोको पायलट को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
10. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिसे संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाड़ियों को दिरवायेगा।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर-किच्छा जिम्मेदार सिगनल एवं दूर संचार स्टाफ को गेट के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
12. सामान्य स्थिति केवल सिगनल एवं दूर संचार स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.8 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध –

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा मद संख्या 2.5 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेंगे यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नहीं दिया जाय।

(रितेश गुप्ता)
मसिदूई/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/51

गेट सं० 36/Spl

किच्छा

जारी तिथि

लागू तिथि

परिशिष्ट - "क-III "

किच्छा-बहेड़ी स्टेशनों के मध्य स्थित इंजी० समपार फाटक संख्या 36 श्रेणी "स्पेशल" के संचालन हेतु अनुदेश -

1. विवरण

1.1 सामान्य -

1	समपार फाटक की संख्या	36 / स्पेशल
2	इंजीनियरिंग / ट्राफिक	इंजीनियरिंग
3	अधीन स्टेशन अधी०/रेल पथ निरीक्षक	से०ई०(रेल पथ)/भोजीपुरा
4	किलोमीटर पर स्थित	43 / 3-4
5	स्टेशन	किच्छा
6	स्टेशन मध्य	किच्छा-बहेड़ी
7	बी०जी० / एम०जी० / एन०जी०	बी०जी०
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी लाइन
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाकड / नान इण्टरलाकड	इण्टरलाकड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	गेट सिगनल
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
(i)	अप साइड	43/1-2
(ii)	डाउन साइड	43/5-6
13	संकेतन व्यवस्था	क्लर लाइट सिगनल
14	संचार साधन टेलीफोन / घंटी	टेलीफोन स्टेशन मास्टर / किच्छा से
15	समपार फाटक की चौड़ाई	7.00 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन०एच० / एस०एच० / अन्य)	एन० एच०
17	सड़क का नाम	सितारगंज रोड
18	पक्का / कच्चा	पक्का
19	पहुँच मार्ग	नैनीताल सितारगंज रोड
20	सड़क की चौड़ाई	7.00 मीटर
21	सड़क का कासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए)	समकोण
22	सड़क का ढाल यदि कोई हो	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	1 : 20
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	1 : 20
23	सड़क का प्रकार (सीधा / गोलाई)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	सीधा
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	सीधा
24	हाइट गेज का प्राविधान	नहीं
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	9.50 मीटर
27	समपार के मध्य सड़क का सतह	समतल
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	5.00 मीटर
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

(नानक चन्द)
मण्डल इंजी०/इज्जतनगर

31	टी0वी0यू0	170729 अक्टूबर 2010
32	अगली गणना की तिथि	अक्टूबर – 2013
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है
34	गेटमैनो की संख्या	02
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	लालकुआ
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	किच्छा में
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हों / नही	हाँ

1.2 उपकरण –

क्रम.सं.	सामग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती (तिरंगी)+ K. Oil	03
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	फ्यूजी	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा / बेलचा	01
13	दुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी / पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते हैं (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	01
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चेन व ताले (बूम लॉकिंग हेतु)	02

1.3. गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –

- (1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में ।
- (2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में ।
- (3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची
- (4) डियूटी रोस्टर ।
- (5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र ।
- (6) गेटमैन का वायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि ।
- (7) दुर्घटना रजिस्टर ।
- (8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख ।
- (9) निरीक्षण पुस्तिका ।
- (10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका ।

1.4 गेटमैन के कर्तव्य :(1) सावधानी

गेट मैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेट मैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

- (i) गेट मैन सतर्कता पूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।
- (ii) दिन में गेट मैन दायें हाथ में लाल झण्डी तथा बायें हाथ में हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई मोड़कर लिये रहेगा।
- (iii) रात्रि समय में गेट मैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।
- (iv) गेट मैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेट मैन की नियमित ड्यूटी

- (i) गेट मैन जब समपार फाटक, आपात स्थिति अथवा अवरोध की स्थिति में रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।
- (iii) गेट मैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेट मैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेट मैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।
- (iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेट मैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

- (v) गेट मैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे – हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन / वैगन / ट्रेन / बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
- (vi) गेट मैन गार्ड द्वारा लोको पायलट को वाकी-टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।
- (vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेट मैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।
- (viii) गेट मैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर/किच्छा, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।
- (ix) जब गेट मैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।
- (x) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि डि्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
- (xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।
- (xii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।
- (xiii) गेट मैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।
- (xiv) गेट मैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।
- (xv) गेट मैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।
- (xvi) जहां तक संभव हो गेट मैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।
- (4) **ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य**
यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा
- (i) वह तत्काल ही लोको पायलट/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।
- (ii) साथ ही साथ लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।
- (iii) यदि लोको पायलट/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर/किच्छा को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए तो तदनुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।
- (iv) किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेट मैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झण्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर-नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।

- (v) वह लोको पायलट/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव-भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए करेगा।
- (vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रूकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर/किच्छा को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान-प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही

- (i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।
- (ii) इसके उपरान्त यदि गेट मैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर/किच्छा को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।
- (iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/किच्छा कोई प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो गेट मैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 गेट मैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा

(अ) इकहरी लाइन पर

- (i) गेट मैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।
- (ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।
- (iii) गेट मैन तब पटाखे, फ्यूजी और दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।
- (iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती दिखाते हुये पहले उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।
- (v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।
- (vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात गेट मैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सचेत करने का प्रयास करेगा।
- (vii) उन परिस्थितियों में जब गेट मैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहाँ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुँचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहाँ तक पहुँच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।
- (viii) उसके उपरान्त गेट मैन फ्यूजी जलाकर लगा देगा जिससे ड्राइवर सचेत हो जाय तथा आने वाली ट्रेन को गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल हाथ बत्ती दिखाकर रोकेगा।

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

संचालन नियम संख्या इज्जत/51

गेट सं० 36/Spl

किच्छा

(ब) गेट मैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही

- (i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को बाधित कर रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेट मैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।
- (ii) गेट मैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे—वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेट मैन स्टेशन मास्टर—किच्छा अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश — इन निर्देशों को आर०डी० सं० उपमुसिदूई/नि/इज्जत/2012(आर०डी०)/7 Alt'A दिनोंक 11-7-2012 के साथ पढ़ा जाय।

2.1 संचालन पद्धति —

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरुद्ध बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फँस जाए। विंच को इस स्थिति में लाक करने के लिए 'ई' प्रकार के लाक से चाबी पी 1 को घुमाकर निकाल लेगा तथा इस पी 1 चाबी को लीवर लाक में लगे 'ई' प्रकार के लाक में लगाकर घुमाएगा जो लीवर लाक को मुक्त करेगा। बूम लाक लीवर को विपरीत दिशा में खींचने पर बूम को फाटक बन्द स्थिति में लाक कर देगा। यह सुनिश्चित करने के बाद कि बूम लाक हो गये हैं, बूम लाक लीवर से चाबी 'पी' को निकाल लेगा। इस पी चाबी के सिरे पर रिविट/वेल्डिंग की हुई **KLCR** की चाबी को गेट लाज में लगे **KLCR** में लगाकर घुमा देगा जिससे गेट पैनल पर प्रदत्त सिगनल कन्ट्रोल स्विच मुक्त हो जायेंगे। तत्पश्चात जैसी आवश्यकता हो, स्विच संख्या 1 एवं 2 को आर की ओर घुमाकर अप या डाउन सिगनल को आफ करेगा। अप /डाउन गेट डिस्टेन्ट सिगनल गेट के अप/ डाउन गेट सिगनलों के आस्पैक्ट से नियन्त्रित है। सभी सिगनल किच्छा स्टेशन में लगे **IPS** से प्रकाशित है। गेट पैनल पर दिये गये स्विच को निम्नप्रकार प्रचालित किया जायेगा :-

स्विच संख्या		स्विच का संचालन
1	अप गाड़ियों का आगमन	आर दशा में
2	डाउन गाड़ियों का आगमन	आर दशा में

तत्पश्चात गेटमैन दिन में बाँये हाथ में सिमटी हुई हथेदार हरी झण्डी एवं दाहिने हाथ में लाल झण्डी तथा रात में सफेद प्रकाश वाला हैण्ड सिगनल लैम्प ट्रैक की तरफ दिखाता हुआ गेट लाज के पास खड़ा होकर गाड़ी के समपार फाटक से सुरक्षित गुजरने का प्रेक्षण करेगा।

गाड़ी के पूरी तरह गुजर जाने के बाद गेटमैन समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिए सिगनल स्विच को नार्मल करेगा तथा **KLCR** से चाबी पी को निकालकर बूम लीवर लाक में लगाकर घुमाएगा तथा लीवर को नार्मल करेगा एवं लीवर से चाबी पी 1 को निकालकर विन्च में लगे 'ई' प्रकार के लॉक में लगाकर घुमाएगा तथा विन्च को उल्टी दिशा में संचालित करेगा जब तक कि लिफ्टिंग बैरियर ठीक ऊपर लम्बवत उठ न जाय। इसके बाद जनरेटर को बन्द कर देगा।

गाड़ी के सम्भावित आगमन और प्रस्थान से पहले 10 मिनट से अधिक समय तक फाटक को बन्द नहीं रखना चाहिए। किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रखना चाहिए।

टिप्पणी—समपार पर सड़क यातायात को चेतावनी देने व अनावश्यक विलम्ब से बचने के लिए एवं गाड़ियों को निर्बाध पास करने के लिए गेट गुमटी के बाहर हूटर की व्यवस्था है। समपार पर भोजीपुरा साइड एवं देवरनिया साइड में समपार से 2.1 किमी० दूरी रेलपथ क्रमशः सीटी एवं डीटी तथा एटी एवं बीटी ट्रैक सर्किट की व्यवस्था है। यह व्यवस्था ऐसी है कि अप एवं डाउन गाड़ी के ट्रैक सर्किट पर आते ही हूटर बजने लगता है। समपार फाटक यदि खुला है तब भी तथा समपार फाटक गाड़ी आने के पहले यदि बन्द है तब भी दोनो ही परिस्थितियों में अप एवं डाउन ट्रैक पर गाड़ी आने से हूटर बजना शुरू कर देता है तथा यह तब तक बजता है जब तक कि गाड़ी समपार से गुजरने के पश्चात बूम लाक लीवर को रिवर्स स्थिति से नार्मल स्थिति में न कर दिया जाए। हूटर विफल होने की स्थिति में गेटमैन स्टेशन मास्टर को प्राईवेट नं० के आदान-प्रदान के अर्न्तगत सूचना देगा तथा स्टेशन मास्टर इस विफलता को ठीक करने के लिए जिम्मेदार एस एण्ड टी कर्मचारी को लिखित सूचना देगा।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

(नानक चन्द)
मण्डल इंजी०/इज्जतनगर

1.2.2 गेट मैन को सूचित करना गेट मैन को सूचित करना :-

- कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा, गाड़ी के संचालन की सूचना समय से गेटमैन को टेलीफोन द्वारा गाड़ी की संख्या, विवरण, दिशा तथा समपार से पास करने का सम्भावित समय की सूचना देगा।

स्टेशन मास्टर/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग-बुक में निम्न प्रकार करेगा -

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक :-

तिथि	गाड़ी सं०	गेटमैन को सूचित करने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5

गेटमैन की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं०	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	गेट बन्द करने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का वास्तविक समय / समपार खोलने का समय	गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

- गेटमैन का यह दायित्व है कि वह समय से समपार फाटक बन्द करे जिससे गाड़ियों का विलम्बन न हो।

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता :-

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो -

- कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
- यदि गेट सिगनल आन हैं तो ड्राइवर गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
- जब गाड़ी **बहेड़ी** की तरफ से आने वाली है तथ कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा कार्यरत स्टेशन मास्टर/बहेड़ी को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन खराब है।
- तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/बहेड़ी गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए गेट की तरफ आगे बढ़े।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ

(नानक चन्द)
मण्डल इंजी०/इज्जतनगर

5. ड्राइवर को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कता पूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ सिगनल संकेत नहीं दिखायी देता है तो लोको पायलट को समपार गेट के पहले रूककर अपने सहायक लोको पायलट को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द है तो सहायक लोको पायलट 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नहीं है तो सहायक लोको पायलट समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में लोको पायलट सहायक गार्ड की सहायता लेगा।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन रवराब होने की सूचना देगा।
7. कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा सिगनल एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र टेलीफोन ठीक करने के लिए सूचना देगा।
8. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.4 लिपिटिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता –

1. जब लिपिटिंग बैरियर गेट रवराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित स्टेशन मास्टर/किच्छा को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लिपिटिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहा है।
2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम पर बूम पोस्ट से बांध कर बूम को लॉक करेगा।
3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फलैंग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदोपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
4. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के लोको पायलट को दिरवायेगा।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
6. जब गाड़ी बहेड़ी के तरफ से आनी वाली हो तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा कार्यरत स्टेशन मास्टर/बहेड़ी को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिपिटिंग बैरियर रवराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करे तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/बहेड़ी गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए गेटमैन के हाथ सिगनल का पालन करते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
7. यदि गेट सिगनल आन है तो लोको पायलट गेट सिगनल के पहले गाड़ी रोककर सामान्य नियम 3.73 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिपिटिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(अतुल सिंह)

(के0एस0सोनाल)

(बालक राम)

(नानक चन्द)

मसिदूर्ई/इज्जतनगर

मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

मसिदूर्ई/निर्माण/लखनऊ

मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

2.5 गेट की चाबी गेट के बन्द स्थिति में विफल हो जाना जब चाबी गेट खोलने के लिये बाहर न निकाली जा सके –

1. जब गेट चाबी विंच से या बूम लाक लीवर से बाहर नहीं निकाली जा सके तब गेटमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर-**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके टेलीफोन पर सूचित करेगा।
2. इस स्थिति में गेट को नान-इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर-**किच्छा** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर-**किच्छा** स्टेशन मास्टर -**बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर-**बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
6. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.6 गेट की चाबी गेट के खुली स्थिति में विफल हो जाना :-

1. जब गेट चाबी विंच से या बूम लाक लीवर से बाहर निकाली जा सके तब गेटमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर-**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके टेलीफोन पर सूचित करेगा।
2. इस स्थिति में गेट को नान-इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार कार्यवाही करना चाहिए।
3. कार्यरत स्टेशन मास्टर-**किच्छा** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए।
4. कार्यरत स्टेशन मास्टर-**किच्छा** स्टेशन मास्टर -**बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर-**बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
5. गेटमैन चेन एवं तालों द्वारा गेट को बन्द कर देगा तथा गाड़ियों को हाथ संकेत द्वारा पास करेगा।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
7. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.7 गेट सिगनल की विफलता :-

- 1 गेटमैन निम्नलिखित परिस्थितियों में गेट सिगनल को खराब मानेगा और गेट सिगनल को आफ नहीं करेगा :-
 - (अ) यदि गेट सिगनल बिना गेट बन्द किये हुए आफ किया जा सके।
 - (ब) यदि चाबी गेट की खुली स्थिति में विंच से निकाली जा सके।
2. यदि गेट या गेट सिगनल 'आफ' की स्थिति में खराब हो जाये तो गेटमैन गेट सिगनल को 'आन' की स्थिति में लाने का प्रयास करेगा।
3. गेट मैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर—**किच्छा** को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान—प्रदान करते हुए सूचित करेगा।
4. उसके बाद गेट को नान—इन्टरलाक समझा जायेगा और उसी के अनुसार गाड़ियों का आगमन अथवा प्रस्थान किया जायेगा।
5. गेटमैन गेट को चेन एवं ताले से बन्द करने के बाद दिन में हथेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुई गाड़ियों को दिखायेगा।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर—**किच्छा** द्वारा गेट के तरफ प्रस्थान करने वाली गाड़ियों के लिये सतर्कता आदेश जारी करना चाहिए।
7. कार्यरत स्टेशन मास्टर—**किच्छा** स्टेशन मास्टर —**बहेड़ी** को प्राइवेट नम्बर का आदान—प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर गेट खराब है। तब कार्यरत स्टेशन मास्टर—**बहेड़ी** गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी को सतर्कता आदेश जारी करे कि वह लगातार सीटी बजाते हुए सतर्कता पूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** सिगनल एवं दूर संचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीघ्र लिफ्टिंग बैरियर ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब सिगनल एवं दूर संचार विभाग बैरियर को ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.8 समपार फाटक पर अवरोध —

1. यदि कोई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल ही गेट सिगनल को 'आन' की स्थिति में कर देगा।
2. गेटमैन दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार के दोनो तरफ इस उद्देश्य के लिये लगाये गये पोस्टों लगायेगा।
3. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
4. यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत स्टेशन मास्टर/**किच्छा** से कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त पुनः टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।
5. गेटमैन पटाखा फ्यूजी तथा दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल बत्ती लेकर तेजी से जिस तरफ गाड़ी का आगमन संभावित है, की तरफ रेल पथ को 'गेट मैनो' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संख्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेगा।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर(के0एस0सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर(बालक राम)
मसिदूई/निर्माण/लखनऊ(नानक चन्द)
मण्डल इंजी0/इज्जतनगर

6. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।
7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिखकर स्टेशन मास्टर/किच्छा को सूचित करेगा तथा स्टेशन मास्टर/किच्छा तब तक गाड़ी को नहीं चलायेगा जब तक गेटमैन सुनिश्चित नहीं कर देता है कि सड़क यातायात या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहे हैं।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा कार्यरत स्टेशन मास्टर/बहेड़ी को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।
9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा को सूचित
10. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा सभी गाड़ियों के चालको को सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ सिगनल (हरा संकेत) देने पर सावधानी पूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।
11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिसे संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि समपार फाटक पर कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाड़ियों को दिरवायेगा।
12. कार्यरत स्टेशन मास्टर-किच्छा जिम्मेदार सिगनल एवं दूर संचार स्टाफ को गेट के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
13. सामान्य स्थिति केवल सिगनल एवं दूर संचार स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.9 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध –

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिरवाई देता हो तो गेट मैन तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर/किच्छा मद संख्या 2.5 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेंगे यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता है तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नहीं दिया जाय।

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
संचालन नियम संख्या इज्जत/51

किच्छा

परिशिष्ट 'ख'

किच्छा स्टेशन पर प्रदत्त संकेतन एवं अन्तर्पाशन उपस्करों के केन्द्रीय संचालन हेतु अनुदेश

1. प्रमुख विशेषताएं :-

- 1.1 नियमारेख संख्या – उपमुसिदूर्ई/नि/आई०जेड०एन०/2011/आर०डी०/3 Alt”B” दिनांक 18.9.2012
- 1.2 संकेतन आरेख संख्या – NER/IZN/KHH/SIP/2011/VER-ZERO/5 Alt”B”
- 1.3 पैनल आरेख संख्या – उपमुसिदूर्ई/नि/आई०जेड०एन०/2011/पी०डी०/4 Alt”A” दिनांक 18.9.12
- 1.4 स्टेशन की श्रेणी – बी
- 1.5 संकेतन का मानक – मानक –III
- 1.6 संकेतन का प्रकार – बहुसंकेती रंगीन बत्ती सिगनल व्यवस्था
- 1.7 खण्ड का कार्य संचालन (Block Working)
- 1.7.1 किच्छा – बहेड़ी स्टेशनों के मध्य डायडो टाइप सहकारी टोकेनलैस ब्लाक उपकरण एक्सल काउन्टर के साथ
- 1.7.2 किच्छा – पन्तनगर स्टेशनों के मध्य डायडो टाइप सहकारी टोकेन लैस उपकरण एक्सल काउन्टर के साथ

1. विचलन :-

साधारण एवं सहायक नियम 3.40(1)(b) के अन्तर्गत गाड़ियों के आगमन हेतु पर्याप्त दूरी सामान्यतया गाड़ियों के रूकने के स्थान से मापी गयी है। जैसा कि,

- (क) अप स्टार्टर सिगनल संख्या S-6 तथा S-8 क्रमशः लाइन संख्या 1 एवं 3 के लिये
- (ख) डाउन स्टार्टर सिगनल संख्या S-7 तथा S-9 क्रमशः लाइन संख्या 1 एवं 3 के लिये

2. काँटों तथा सिगनलों का विवरण

यार्ड में निम्नलिखित सिगनल व काँटें प्रदत्त हैं। सिगनल कलर लाइट तथा विद्युत से प्रकाशित होते हैं। सभी काँटे मोटर चालित हैं तथा सभी काँटें एवं सिगनल स्टेशन मास्टर के कार्यालय में लगे डोमिनो कन्ट्रोल पैनल से प्रचालित होते हैं।

2.1 यार्ड का बहेड़ी छोर :-

2.1.1 काँटें :-

- (i) काँटा संख्या 203A- 203B से लाइन संख्या 2 से 3 के लिये एवं विपरीत क्रम में मार्ग सैट किया जाता है।
- (ii) काँटा संख्या 204A- 204B से लाइन संख्या 2 से 1 के लिये एवं विपरीत क्रम में मार्ग सैट किया जाता है।

2.1.2 सिगनल :-

- (i) अप डिस्टेन्ट सिगनल ए 12 - होम सिगनल संख्या S 12 के संकेतों पर आधारित अप होम सिगनल संख्या S 12 निम्नलिखित संकेत प्रदर्शित करता है :-
- (ii) अप होम सिगनल संख्या S 12 - मेन लाइन संख्या 2 के लिये जं० इंडिकेटर रहित
- (iii) अप होम सिगनल संख्या S 12 - लूप लाइन संख्या 1 के लिये बाँया जं० इंडिकेटर सहित
- (iv) अप होम सिगनल संख्या S 12 - लूप लाइन संख्या 3 के लिये दाहिना जं० इंडिकेटर सहित
- (v) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या - S-11, बहेड़ी छोर के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित है।

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूर्ई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूर्ई/नि/लखनऊ

2.1.2(क) अतिरिक्त सिगनल :-कालिंग आन सिगनल :-

कालिंग आन सिगनल सं०	विवरण
अप कालिंग आन सिगनल सं० सी-10	अप होम सिगनल संख्या एस-12 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह बहेड़ी साइड से लाइन सं० 1, 2 अथवा 3 में आने के लिये है

2.1.2(ख) शन्ट सिगनल :-

आश्रित शन्ट सिगनल		
शन्ट सिगलन संख्या	किस सिगनल के नीचे स्थित है	विवरण
एस एच 25	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 5	लाइन सं० 2 से बहेड़ी छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 तक शंटिंग के लिये
एस एच 27	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 7	लाइन सं० 1 से बहेड़ी छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 तक शंटिंग के लिये
एस एच 29	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 9	लाइन सं० 3 से बहेड़ी छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 तक शंटिंग के लिये

अनाश्रित शन्ट सिगनल	
शन्ट सिगलन संख्या	विवरण
एस एच 32	बहेड़ी छोर पर लाइन सं० 1, 2 या 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु

2.2 यार्ड का पन्तनगर छोर :-2.2.1 काँटें :-

- काँटा संख्या 201A- 201B से लाइन संख्या 2 से 3 के लिये एवं विपरीत क्रम में मार्ग सैट किया जाता है।
- काँटा संख्या 202A- 202B से लाइन संख्या 2 से 1 के लिये एवं विपरीत क्रम में मार्ग सैट किया जाता है।

2.2.2 सिगनल :-

- डाउन डिस्टेन्ट सिगनल संख्या ए-1 - होम सिगनल संख्या S- 1 के संकेतों पर आधारित डाउन होम सिगनल संख्या S 1 निम्नलिखित संकेत प्रदर्शित करता है :-
- डाउन होम सिगनल संख्या S 1 - मेन लाइन संख्या 2 के लिये जं० इंडिकेटर रहित
- डाउन होम सिगनल संख्या S 1 - लूप लाइन संख्या 3 के लिये बाँया जं० इंडिकेटर सहित
- डाउन होम सिगनल संख्या S 1 - लूप लाइन संख्या 1 के लिये दाहिना जं० इंडिकेटर सहित
- अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या - S-2 पन्तनगर छोर के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित है।

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदुई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदुई/नि/लखनऊ

2.2.2(क) अतिरिक्त सिगनल :-

कालिंग आन सिगनल :-

कालिंग आन सिगनल संख्या	विवरण
डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी-3	डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 के नीचे उसी खम्बे पर लगा है। यह पन्तनगर साइड से लाइन सं० 1, 2 अथवा 3 में आने के लिये है

2.2.2(ख) शन्ट सिगनल :-

आश्रित शन्ट सिगनल		
शन्ट सिगनल संख्या	किस सिगनल के नीचे स्थित है	विवरण
एस एच 24	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 4	लाइन सं० 2 से पन्तनगर छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक शंटिंग के लिये
एस एच 26	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 6	लाइन सं० 1 से पन्तनगर छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक शंटिंग के लिये
एस एच 28	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 8	लाइन सं० 3 से पन्तनगर छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक शंटिंग के लिये

अनाश्रित शन्ट सिगनल	
शन्ट सिगनल संख्या	विवरण
एस एच 31	पन्तनगर छोर पर लाइन सं० 1, 2 या 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु

3. सिगनल आस्पैक्ट :-

- 3.1 डिस्टेन्ट सिगनल के अतिरिक्त सभी मुख्य सिगनलों का नार्मल आस्पैक्ट लाल हैं। डिस्टेन्ट सिगनल का नार्मल आस्पैक्ट पीला है। डिस्टेन्ट सिगनल के आस्पैक्ट का परिवर्तन उसके आगे स्थित होम सिगनल के आस्पैक्ट के अनुसार स्वतः हो जाता है। डिस्टेन्ट सिगनल का आस्पैक्ट एक पीला, दो पीला तथा हरा है। डिस्टेन्ट सिगनल आन स्थिति में एक पीला, लूप लाइन संख्या 1 एवं 3 के लिये आफ होने पर दो पीला तथा मेन लाइन संख्या 2 के लिये आफ होने पर हरा जलता है। डिस्टेन्ट सिगनल के लिये पैनल पर कोई अलग से स्विच नहीं है।
- 3.2 एडवॉस स्टार्टर सिगनलों का आफ आस्पैक्ट हरा होता है। एडवॉस स्टार्टर में हरे रंग का आस्पैक्ट होने का तात्पर्य यह है कि अगले स्टेशन को गाड़ी भेजने के लिये सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं तथा सम्बन्धित ब्लाक यन्त्र से लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया है।
- 3.3 मेन लाइन के स्टार्टर सिगनलों का आफ आस्पैक्ट हरा तथा लूप लाइन के स्टार्टरों का आफ आस्पैक्ट पीला है। स्टार्टर सिगनलों का आफ आस्पैक्ट सम्बन्धित एडवॉस स्टार्टर सिगनल के आफ आस्पैक्ट द्वारा नियन्त्रित हैं।

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

- 3.4 अप / डाउन होम सिगनल में तीन आस्पैक्ट लाल, पीला तथा हरा है जो रूट इंडिकेटर रहित अप / डाउन होम सिगनल को आफ करने पर केवल पीला आस्पैक्ट लाइन संख्या 2 पर आने का संकेत करता है। अप / डाउन होम सिगनल के पीले आस्पैक्ट के साथ-साथ रूट इंडिकेटर की सफेद बत्तियों का प्रकाश संकेत करता है कि गाड़ी का आगमन लूप लाइन संख्या 1 या 3 पर होगा। अप / डाउन होम सिगनल का हरा आस्पैक्ट मेन लाइन संख्या 2 के अप / डाउन स्टार्टर का हरा आस्पैक्ट अप / डाउन एडवॉस स्टार्टर का हरा आस्पैक्ट गाड़ी को स्टेशन से बिना रुके रन-थ्रू जाने का संकेत करता है।
- 3.5 शन्ट सिगनल संख्या 31 एवं 32 अनाश्रित पोजीशन लाइट शन्ट सिगनल हैं तथा अलग-अलग पोस्ट पर स्वतन्त्र रूप से लगे हैं। ये स्टेशन पैनल से अलग - अलग बटनों द्वारा नियन्त्रित होते हैं। आन स्थिति में दो सफेद बत्ती क्षैतिज तल पर तथा आफ स्थिति में क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर दो सफेद बत्ती दिखाते हैं।
- 3.6 शन्ट सिगनल संख्या एस एच 24, एस एच 25, एस एच 26, एस एच 27, एस एच 28 एवं एस एच 29 आश्रित पोजीशन लाइट शन्ट सिगनल हैं जो स्टार्टर सिगनलो के नीचे उसी पोस्ट पर लगे हैं तथा स्टेशन पैनल से अलग -अलग बटनों द्वारा नियन्त्रित होते हैं। ये आन की स्थिति में नो लाइट तथा आफ की स्थिति में क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर दो सफेद बत्ती दिखाते हैं।
- 3.7 कालिंग आन सिगनल का आन स्थिति में कोई आस्पैक्ट नहीं जलता है किन्तु आफ की स्थिति में एक छोटा पीला आस्पैक्ट जलता है।
- 3.8 यदि सम्बन्धित कॉटों की सही सैटिंग का इंडिकेशन न भी जलता हो तथा सिगनल आस्पैक्ट का नियमित इंडिकेशन मिल रहा हो तो यह समझा जाय कि कॉटा सही सैट एवं लाक है।

4. स्टेशन मास्टर पैनल :-

स्टेशन मास्टर के कक्ष में डोमिनो टाइप स्टेशन मास्टर कन्ट्रोल पैनल का प्रावधान है जिसमें पुश बटनों द्वारा मोटर कॉटों एवं सिगनल आदि का संचालन तथा समपार फाटकों का नियन्त्रण किया जाता है। इनकी स्थिति दर्शाने हेतु सूचक बत्ती का प्रावधान है। कॉटों एवं सिगनलों के संचालन हेतु पैनल पर एक साथ दो पुश बटनों को दबाना आवश्यक है। पैनल पर प्रदत्त पुश बटनों, इंडिकेशन चाबी आदि का विवरण निम्न है :-

4.1 स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी :-

स्टेशन मास्टर पैनल पर एक पैनल, रिलीज / लाक चाबी के साथ लगा होता है जो पाइन्ट एवं सिगनल आदि का अनाधिकृत संचालन रोकता है। जब तक पैनल कन्ट्रोल चाबी पैनल से निकली रहेगी तब तक पाइन्ट एवं सिगनलों का विद्युतीय सम्बन्ध विच्छेदित रहेगा। परन्तु SM's Key निकली होने पर भी अगर कोई भी सिगनल आफ है तो सिगनल बटन के साथ EGGN बटन दबाने पर सिगनल को आफ स्थिति से आन स्थिति में किया जा सकता है। चाबी लगाकर घुमा देने के बाद पैनल पर लगे पुश बटनों द्वारा कॉटों एवं सिगनलों आदि का संचालन किया जा सकता है। स्टेशन मास्टर की पैनल कन्ट्रोल चाबी चाहे पैनल से बाहर निकली हो, या पैनल में लगी हो, सभी ट्रैक सर्किट, कॉटों एवं सिगनलों के आस्पैक्ट आदि का इंडिकेशन अन्तिम संचालित स्थिति में अनवरत प्रकाशित होंगे।

4.2 स्टेशन मास्टर की आपात कालीन रूट रिलीज चाबी :-

स्टेशन मास्टर पैनल पर स्टेशन मास्टर की आपात कालीन रूट रिलीज चाबी का प्रावधान है। जब किसी कारण वश रूट रिलीज नहीं होता है तब स्टेशन मास्टर द्वारा पैनल पर इस चाबी को लगाने के पश्चात सिगनल बटन एवं EUUYN बटन को एक साथ दबाने पर रूट तुरन्त रिलीज हो जाता है तथा रूट के कॉटों संचालन के लिये मुक्त हो जाते हैं।

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/51

किच्छा

4.3 पुश बटन :- स्टेशन मास्टर पैनल पर निम्नलिखित पुश बटनों का प्रावधान है -

4.3.1 सिगनल/शन्ट सिगनल बटन :-

पैनल पर प्रत्येक सिगनल एवं शन्ट सिगनल के लिये अलग-अलग पुश बटनों का प्रावधान है जो सम्बन्धित सिगनल/शन्ट सिगनल केनिकट लगा है। सिगनल/शन्ट सिगनल आफ करने हेतु जिस सिगनल/शन्ट सिगनल को आफ करना है उसका बटन तथा जिस लाइन पर गाड़ी लेना है अथवा भेजना है उस लाइन पर स्थित रुट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल/शन्ट सिगनल आफ जायेगा।

4.3.2 रुट बटन :-

पैनल पर जिन लाइनों के लिये सिगनल आफ किया जाता है उन लाइनों पर अलग-अलग रुट बटन का प्रावधान किया गया है। सिगनल बटन एवं रुट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जाता है। जैसे कि लूप लाइन सं० 1 में अप गाड़ी के आगमन हेतु अप होम सिगनल सं० एस 12 को आफ करने के लिये सिगनल बटन सं० एस 12 तथा लाइन सं० 1 पर स्थित रुट बटन सं० बी को एक साथ दबाने पर रुट सैट हो जायेगा और सिगनल आफ हो जायेगा। इसी प्रकार अप एसवॉस स्टार्टर सं० एस 2 को आफ करने के लिये लाइन क्लीयर प्राप्त करने के बाद सिगनल बटन सं० एस 2 तथा रुट बटन सं० ई को एक साथ दबाने पर अप एडवांस स्टार्टर सिगनल आफ हो जायेगा।

4.3.3 कॉटा बटन :-

पैनल के दोनों सिरों पर काकॉटों के संचालन के लिये प्रत्येक कॉटों के लिये उसका पुश बटन दिया गया है। कॉटों को नार्मल स्थिति में करने के लिये उस कॉटे का बटन ताा साथ में NWWN बटन एक साथ दबाना होगा। इसी प्रकार कॉटों को रिवर्स स्थिति में करने के लिये उस कॉटों का बटन तथा RWWN बटन को एक साथ दबाना होगा। सभी सिगनलों के लिये सिगनल को कालिग आन सिगनल पर लेने के लिये एवं गाड़ी आगमन के बाद कॉटों को नार्मल/रिवर्स करने के लिये किया जायेगा।

4.3.4 एन०डब्लू०डब्लू०एन०/आर०डब्लू०डब्लू०एन० बटन :-

कॉटों को अलग-अलग सैट करने हेतु कॉटे/कास ओवर का बटन तथा NWWN/RWWN बटन एक साथ दबाने पर कॉटा/कास ओवर नार्मल/रिवर्स स्थिति के लिये संचालित हो जाता है।

4.3.5 कैंक हैण्डिल, साइडिंग एवं गेट नियन्त्रण बटन एल०एन०/वाई०एन०बटन :-

कैंक हैण्डिल सीएन-1 एवं सी एच-2 तथा गेट 39/सी व 38/स्पेशल के नियन्त्रण हेतु अलग-अलग एल एन/वाई एन बटनों का प्रावधान है। एल एन बटन द्वारा कैंक हैण्डिल/गेट लाक तथा वाई एन बटन द्वारा रिलीज होता है।

4.3.6 ई०जी०जी०एन०बटन :-

आफ किये गये सिगनलों को आफ से आन करने हेतु ई०जी०जी०एन०बटन को सिगनल बटन के साथ दबाने पर सिगनल आफ स्थिति से आन स्थिति में हो जाता है।

4.3.7 जी०बी०एन०बटन :-

यह ग्रुप बटन है जिसका उपयोग कैंक हैण्डिल एवं समपार फाटक नियन्त्रण हेतु प्रदत्त एल एन/वाई एन बटन को एक साथ दबाने में किया जाता है।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/51

किच्छा

4.3.8 ई०यू०वाई०एन०बटन :-

आफ किये गये सिगनलों को आन करने के बाद रुट निरस्तीकरण के लिये ई०यू० यू०एन० बटन के साथ सिगनल बटन को दबाने पर निर्धारित समयान्तराल के बाद रुट निरस्त हो जाता है और कॉटे संचालन हेतु मुक्त हो जाते हैं।

4.3.9 ई०डब्लू०एन०बटन :-

यह सील बंद बटन है। पैनल पर प्वाइंट पोर्सन का कोई ट्रैक कांटे की नार्मल या रिवर्स स्थिति में किसी कारणवश यदि लाल संकेत प्रदर्शित करता है तो इस स्थिति में प्वाइंट को संचालित करने के लिये इस म्छ बटन के साथ NWWN/RWWN को दबाने के पश्चात EWN बटन को छोड़कर NWWN / RWWN दबाये रखते हुये सम्बन्धित प्वाइंट के बटन को दबाकर प्वाइंट को नार्मल/रिवर्स स्थिति में किया जा सकता है। इस बटन का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिये। स्टेशन मास्टर सम्बन्धित प्वाइंट जोन की व्यक्तिगत रूप से जाँच करे कि ट्रैक साफ है कि नहीं। यदि ट्रैक साफ है तभी इस बटन का प्रयोग किया जायेगा तथा इसकी प्रविष्टि इस कार्य के लिये बनायी गयी पंजिका में की चाहिये।

4.3.10 ई०यू०यू०वाई०एन० (आपातकालीन रुट रिलीज) बटन -

यह सील बन्द बटन है। यदि किसी कारणवश रुट रिलीज नहीं होता है तब पैनल पर आपातकालीन रुट रिलीज चाभी लगाने के पश्चात ई०यू०यू०वाई०एन० बटन एवं सिगनल बटन को एक साथ दबाने पर रुट 120 सेकेण्ड बाद रिलीज हो जाता है। रुट रिलीज करने के बाद इसकी सूचना तत्काल विद्युत सिगनल अनुरक्षक को दी जायेगी सूचना मिलने पर इस बटन को पुनः ई०एस०एम० द्वारा सील कर दिया जायेगा। इस बटन को प्रयोग करते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है एवं इसकी प्रविष्टि इस उद्देश्य के लिये बनायी गयी पंजिका में अवष्य करनी चाहिये। स्टेशन मास्टर स्वयं व्यक्तिगत रूप से जाँच करे कि ट्रैक साफ है या नहीं।

4.3.11 जी०/यू०/डब्लू०/जी०/आर० अभिस्वीकृति बटन :

पैनल पर यदि कोई कांटा बटन, सिगनल बटन, रुट बटन या गुप बटन दबा रह जाता है तब एक चेतावनी घंटी बजने लगती है। चेतावनी घंटी को बंद करने हेतु इस बटन को दबाया जायेगा।

4.3.12 गेट नियंत्रण बटन 552 एवं 551 गेट संख्या 38/स्पेशल एवं 39/सी के लिए -

(क) पैनल पर समपार फाटकों के नियंत्रण के लिए अलग-अलग वाईएन तथा एलएन बटनों का प्रावधान है। गेट खोलने के लिए वाई०एन० एवं जी०बी०एन० बटन एक साथ दबाने से पैनल पर रिलीज की लाल बत्ती जल जायेगी एवं गेट पर लगे लीवर लाक में फ्री बत्ती जल जायेगी एवं नियंत्रण चाभी लीवर लाक से निकालकर गेट खोल दिया जायेगा। गेट बंद करने के बाद फिर नियंत्रण चाभी लीवर लाक में लगा दी जायेगी एवं पैनल पर लगे बटन एल०एन० तथा जी०बी०एन० बटन एक साथ दबाने से गेट नियंत्रक चाभी लीवर लाक में लाक हो जायेगी तथा पैनल पर लाकड का सफेद इंडिकेशन जल जायेगा।

(ख) समपार संख्या 38/स्पेशल एवं 39/सी के लिए आपातकालीन चाभी -

समपार संख्या 38/स्पेशल एवं 39/सी पर विद्युतीय नियंत्रण की विफलता के समय समपार फाटक को खोलने के लिए आपात कालीन चाभी "क्यू०ई० तथा पी०ई०" का प्रावधान है। ये चाभी स्टेशन मास्टर कार्यालय (पैनल रूम) में लगे सील्ड एवं ताला बंद केस में लगी पार्किंग एच०के०टी० में लगी रहती है। आपातकालीन चाभी बूम लाक लीवर को रिलीज करने के लिए परिचालन विभाग के कर्मचारी द्वारा गेट पर भेजी जाती है। इस चाभी के निकालने से आगमन/सम्बन्धित प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में रहते है। विफलता ठीक होने पर पुनः पार्किंग एचकेटी में लगा दी जायेगी। इसकी लिखित सूचना सिगनल अनुरक्षक को देकर ग्लास केस सील्ड एवं ताला बंद करा दिया जायेगा।

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मपरिप्र(सा)/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/इज्जतनगर

4.4 ट्रैक सर्किट सूचक सूक्ष्म प्रकाश बत्ती :-

परिचालित लाइनों पर प्रदत्त ट्रैक सर्किटों के लिये पैनल पर ट्रैक सर्किटों के ऊपर प्रकाश पट्टियाँ (स्ट्रिप) का प्रावधान है जो ट्रैक सर्किट पर गाड़ी नहीं रहने / खाली होने पर प्रकाशित नहीं होती हैं। जब कोई सिगनल 'आफ' किया जाता है तब उसके मार्ग में पड़ने वाले तथा ओवर लैप की ट्रैक सर्किटों की सफेद प्रकाश पट्टियाँ प्रकाशित हो जाती हैं। जब गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर आती है तब प्रकाश पट्टियों का सफेद प्रकाश बुझ जाता है और लाल प्रकाश जल जाता है। जब गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है तब लाल प्रकाश बुझ जाता है तथा सफेद प्रकाश जल जाता है।

ट्रैक सर्किट की विफलता की स्थिति में ये प्रकाश पट्टियाँ लाल प्रकाश से प्रकाशित हो जाती हैं। इस स्टेशन पर दोनो ओर होम सिगनल से होम सिगनल तक तथा उसके आगे 5 रेल तक ट्रैक सर्किट की व्यवस्था की गयी है।

टिप्पणी :-

गाड़ी ट्रैक पर आने के बाद यदि लाल प्रकाश पट्टी प्रकाशित नहीं हो तो इसका अर्थ है कि सूक्ष्म प्रकाश बत्ती फ्यूज़ हो गयी है। तब इसके मरम्मत हेतु सम्बन्धित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें। यदि सफेद प्रकाश पट्टी का प्रकाशित होना अपेक्षित हो और वह न जलती हो तो स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से जाँच करें कि ट्रैक साफ है अथवा नहीं। यदि साफ है तो ट्रैक सर्किट को क्रियाशील समझा जाये। तथापि बत्ती मरम्मत हेतु सम्बन्धित विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरन्त सूचित करें।

4.5 एक्सल काउन्टर का विवरण एवं कार्य प्रणाली :-

4.5.1 डिजिटल एक्सल काउन्टर एक ट्रैक सर्किटिंग उपकरण है जिसका उपयोग रेलवे में किसी रेल खण्ड के आक्यूपाइड / अन-आक्यूपाइड का मानिटर करने के लिये होता है। यह किसी निर्धारित रेल खण्ड पर गाड़ी की उपस्थिति को सूचित करता है। डिजिटल एक्सल काउन्टर के निम्नलिखित भाग हैं -

- (I) एक्सल काउन्टर
 - (क) टी0 एक्स0 क्वाइल - 2 नम्बर
 - (ख) आर0एक्स0 क्वाइल - 2 नम्बर
- (II) एस0एस0डी0ए0सी0 - 2 नम्बर
- (III) री-सैट बाक्स - 2 नम्बर

डिजिटल एक्सल काउन्टर दो यूनिट (1 जोड़ा) के संयोग से एक रेल खण्ड में कार्य करता है। इस कार्य प्रणाली का एक एस0एस0डी0ए0सी0 यूनिट खण्ड के दोनों छोर पर एक सैट टी0 एक्स0 क्वाइल एवं आर0एक्स0 क्वाइल एक्सल काउन्टर के साथ स्थापित किया जाता है। टी0 एक्स0 एवं आर0एक्स0 क्वाइल प्रत्येक लोकेशन के रेल के वेब में माउन्ट किया जाता है। सिस्टम इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि रेल ट्रैक के बाहरी ओर स्थापित हो। सिस्टम दोनों यूनिट को एक पेयर के रूप में सिंगल रेल खण्ड को मानिटर करता है।

4.5.2 सिस्टम का मूल डिजाइन प्रत्येक डिटैक्शन पाइन्ट से गुजरने वाले एक्सल की गणना पर आधारित है। यह प्रत्येक डिटैक्शन पाइन्ट से गुजरने वाले एक्सल एवं कुल गणना को रजिस्टर करता है। यह संग्रह की हुई गणना दूसरे यूनिट को आधुनिक संचार द्वारा प्रेषित एवं प्राप्त की जाती है। सिस्टम का प्रत्येक यूनिट स्वयं की गयी गणना एवं दूसरे यूनिट द्वारा की गयी गणना की तुलना तथा खण्ड की स्थिति का मूल्यांकन करता है। संचार में डिजिटल गणना, स्थिति एवं कोई त्रुटि नहीं क्लीयरेंस का निर्णय करती है। यदि गणना दोनों डिटैक्शन पाइन्ट पर समान रहती है तो ब्लाक सैक्शन क्लीयर हरा अन्यथा आक्यूपाइड लाल रंग के रूप में प्रदर्शित करता है।

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

4.5.3 **एस0 एम0 री-सैट बाक्स :-**एस0एम0 री-सैट बाक्स में निम्नलिखित संकेत दिये गये हैं –

- (i) ब्लाक सैक्शन में कोई गाड़ी प्रवेश करने पर री-सैट बाक्स के ऊपर लाल इंडिकेशन (ब्लाक खण्ड आक्यूपाई) जलने लगता है। यह लाल इंडिकेशन एक्सल काउन्टर की विफलता में भी प्रकाशित होता है।
- (ii) ब्लाक सैक्शन साफ रहने पर हरा इंडिकेशन (ब्लाक सैक्शन क्लीयर) जलता है।
- (iii) प्रीपेरेटरी री-सैट – हरा
- (iv) पावर आन –पीला
- (v) एस0एम0 चाबी एवं री-सैट हेतु री-सैटिंग बटन
- (v) री-सैट की गणना हेतु गणक

नोट :-1. एक्सल काउन्टर की विफलता से सम्बन्धित ब्लाक उपकरण किसी भी गाड़ी के आगमन के पश्चात लाइन क्लोज्ड स्थिति में नहीं किया जा सकता।

2. री-सैट प्रक्रिया करने से पूर्व आने वाली गाड़ी का पूर्ण आगमन स्टेशन मास्टर व्यक्तिगत रूप से अवश्य सुनिश्चित कर लें।

4.5.4 **री-सैट करने की प्रक्रिया :-**

1. री-सैट करने के लिये दोनों छोर के स्टेशन मास्टर द्वारा निम्न विधि अपनायी जायेगी –
 - (क) सर्वप्रथम एस0एम0 चाबी को दाहिने तरफ घुमाएं
 - (ख) साथ-साथ री-सैट बटन दबायें।
 - (ग) री-सैट बटन एवं एस0एम0 चाबी को एक साथ रिलीज कर दें।
 - (घ) एस0 एम0 चाबी को बाँये तरफ घुमाकर निकालकर स्टेशन मास्टर द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रख लिया जाय।
2. उपरोक्त मद संख्या (क) (ख) प्रक्रिया में री-सैट बाक्स, एस0 एस0 डी0 ए0 सी0 री-सैट किया जाता है और अपना गणना शून्य होकर दोनों यूनिट में स्वयं जॉच प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। एस0 एस0 डी0 ए0 सी0 री-सैट होने की प्रक्रिया प्राप्त करती है जिससे प्रीपेरेटरी री-सैट का एक हरा इंडिकेशन जलने लगता है।
3. री-सैट की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एक ट्रेन को पी0 एल0 सी0 पर खण्ड में गुजरने की प्रक्रिया की जायेगी। ट्रेन के अगल स्टेशन पहुँचने पर ब्लाक खण्ड स्वतः क्लीयर हा जायेगा एवं री-सैट पैनल पर ब्लाक खण्ड क्लीयर होने का हरा इंडिकेशन जलने लगता है।
4. री-सैट होने के बाद वीडर काउन्टर एक उच्च संख्या लगभग 5 सेकेण्ड के अन्तराल पर दर्ज करेगा एवं गणक की संख्या को रिकार्ड किया जायेगा।

4.5.5 **एक्सल काउन्टर की विफलता होने पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया :-**

- (i) उपरोक्त पैरा 4.5.4 में दी गयी री-सैटिंग की प्रक्रिया अपनायी जाये।
- (ii) यदि दोनों छोर के स्टेशन मास्टर द्वारा री-सैट करने के बाद एवं खण्ड में पहली गाड़ी पी0 एल0 सी0 पर गुजर जाने के बाद भी एक्सल काउन्टर लाल प्रदर्शित करता है तो निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये।
 - (क) एक्सल काउन्टर की विफलता यदि 4 घन्टें से अधिक समय तक बनी हुई है तो सैक्शन इंजी0 सिगनल को जॉच स्वयं करके एक्सल काउन्टर का डिस्कनेक्शन मीमों एस0 एण्ड टी0 / डी0एन0 एनेक्सर-2 जारी करके कार्यरत स्टेशन मास्टर से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूर्इ/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूर्इ/नि/लखनऊ

- (ख) दोनों छोर पर स्थित स्टेशन के स्टेशन मास्टर प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करके यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त खण्ड में कोई गाड़ी नहीं है / गाड़ी का पूर्ण आगमन हो चुका है।
- (ग) ऐसा सुनिश्चित हो जाने के बाद एवं कार्यरत स्टेशन मास्टर से इस आशय का मीमां प्राप्त होने पर सैक्शन इंजी० सिगनल स्वयं व्यवस्था करेंगे कि टोकनलैस की कार्य प्रणाली (एक्सल काउन्टर को छोड़कर) कार्यरत रहे।
- (घ) उपरोक्त (क) में अंकित विफलता के दौरान एवं टोकनलैस के ठीक होने तक (एक्सल काउन्टर को छोड़कर) खण्ड में दोनों छोर से पी० एल० सी० जारी रहेगी।
- (ङ) उपरोक्त स्थिति में सामान्य नियम 8.03 (2) एवं सहायक नियम 8.03 (i) से (iv) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. सिगनल एवं मार्ग संकेत इंडिकेशन :-

पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिये स्थल पर लगे सिगनल द्वारा दर्शायी गयी। ये इंडिकेशन सिगनल द्वारा दर्शाये जाने वाले आस्पैक्ट के अनुरूप लाल / हरे / पीले रंग की लघु प्रकाश इंडिकेशन (सूचक बत्ती) दर्शाते हैं। होम सिगनल पर लगे रूट इंडिकेटर के लिये पैनल पर एक लघु सफेद प्रकाश पट्टी प्रकाशित होकर होम सिगनल का लूप लाइन के लिये 'आफ' होना दर्शाती है। आश्रित शन्ट सिगनल जो प्रस्थान सिगनल के खम्बे पर स्थित है, उनके इंडिकेशन के लिये एक सफेद पट्टी 'आफ' स्थिति में प्रकाशित होगी। अनाश्रित शन्ट सिगनल जो स्वतन्त्र खम्बे पर स्थित है, की 'आन' स्थिति में एक सीधी लघु प्रकाश पट्टी तथा 'आफ' स्थिति में 45 डिग्री के कोण पर लघु सफेद पट्टी प्रकाशित होगी। कालिंग आन सिगनल के आस्पैक्ट का इंडिकेशन पैनल पर होम सिगनल के नीचे लघु पीले प्रकाश के रूप में दिया गया है। सामान्य दशा में यह अप्रकाशित रहता है। यह तभी प्रकाशित होता है तब कालिंग आन सिगनल 'आफ' किया जाता है।

5.1 कॉटा इंडिकेशन :-

मोटर चालित कॉटों / क्रास ओवर कॉटों के संचालन हेतु दिये गये बटन के ऊपर नार्मल स्थिति में सफेद तथा रिवर्स स्थिति में लघु सफेद प्रकाश पट्टी का प्रावधान है। कॉटों / क्रास ओवर कॉटों की स्थिति के अनुसार ये इंडिकेशन अनवरत प्रकाशित रहेंगे। जब कॉटों / क्रास ओवर कॉटों संचालित होते हैं तब वॉछित स्थिति का इंडिकेशन जलता-बुझता (फ्लैश) करता है जब तक कि कॉटा सैट एवं लाक नहीं हो जाता है। जैसे कि जब कॉटा नार्मल स्थिति से रिवर्स स्थिति में संचालित होता है तब नार्मल इंडिकेशन बुझ जाता है और रिवर्स का सफेद इंडिकेशन जलने बुझने लगता है। कॉटे के रिवर्स में सैट एवं लाक हो जाने पर रिवर्स का सफेद इंडिकेशन लगातार जलने लगता है।

नोट :- मोटर कॉटों पर नान-सिगनल मूवमेन्ट के बाद कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिए कि वह मोटर कॉटे को नार्मल या रिवर्स में चलाकर उसकी जाँच कर ले तथा उनके सम्बन्धित इंडिकेशनों को पैनल पर सुनिश्चित कर ले तथा इसकी जाँच की प्रविष्टि स्टेशन मास्टर डायरी में अवश्य करे।

5.2 बटन हैल्ड इंडिकेशन :-

पैनल पर जब कोई पुश बटन दबा रह जाता है तब ये इंडिकेशन प्रकाशित हो जाते हैं।

5.2.1 सिगनल बटन हैल्ड इंडिकेशन (GNCKE) :-

कोई सिगनल बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.2.2 कॉटा बटन हैल्ड इंडिकेशन (WNCKE) :-

कोई कॉटा बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है।

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूर्ई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूर्ई/नि/लखनऊ

5.2.3 रूट बटन हैल्ड इंडिकेशन (UNCKE) :-

कोई रूट बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.2.4 ग्रुप बटन हैल्ड इंडिकेशन (GR (N) CKE) :-

कोई ग्रुप बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.2.5 ई0 यू0 वाई0 एन0 बटन हैल्ड इंडिकेशन (EUYKE) :-

कोई ई0यू0वाई0 एन0 बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.2.6 ई0 यू0 यू0 वाई0 एन0 बटन हैल्ड इंडिकेशन (EUUYKE) :-

कोई ई0 यू0 यू0 वाई0 एन0 बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है।

5.2.7 जी0 / यू0 / डब्लू0 / जी0 आर0 इंडिकेशन (G/ U / W/ GR) :-

कोई सिगनल, कॉटा, रूट तथा ग्रुप बटन दबा रह जाने पर यह इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है तथा बटन हैल्ड अलार्म बनजे लगता है जिसे बन्द करने हेतु जी0 / यू0 / डब्लू0 / जी0 आर0 एकनालेज (अभिस्वीकृति) बटन दबाने पर अलार्म बन्द हो जाता है परन्तु यह इंडिकेशन तब तक प्रकाशित रहता है जब तक कि दबे बटन को ठीक न कर दिया जाये।

उपरोक्त इंडिकेशन जलने तथा अलार्म बजने पर स्टेशन मास्टर द्वारा बटन को ऊपर खींचकर तुरन्त ठीक किया जाना चाहिए। यदि फिर भी अलार्म बजना बन्द नहीं होता है तो सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारी को सूचित करना चाहिए।

5.2.8 लाक लाइट इंडिकेशन :-

पैनल पर कॉटों के ट्रैक सर्किट पर कॉटों के फेसिंग में लघु सफेद बत्ती का प्रावधान है, जिसके प्रकाशित होने का अर्थ है कि कॉटा विद्युतीय रूप से लाक है तथा संचालित नहीं किया जा सकता है। यह लघु सफेद बत्ती लाक लाइट कहलाती है।

5.2.9 पैनल लाक / रिलीज इंडिकेशन :-

स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी के ऊपर पैनल लाक / रिलीज के लिये लाल / सफेद इंडिकेशन का प्रावधान है। जब पैनल से चाबी निकालने हेतु घुमाया जाता है तब पैनल लाक का लाल इंडिकेशन प्रकाशित होता है तथा पैनल में चाबी लगाकर घुमा देने पर रिलीज का सफेद इंडिकेशन जलता है। पैनल के रिलीज स्थिति में पैनल द्वारा कॉटों तथा सिगनलों का संचालन सम्भव है।

5.2.10 क्रेन्क हैण्डिल , साइडिंग एवं समपार फाटकों का लाक / रिलीज इंडिकेशन :-

क्रेन्क हैण्डिल सी0 एच0 1 एवं सी0 एच0 2, तथा समपार फाटकों के वाई0 एन0 / एल0 एन0 बटनों के ऊपर रिलीज स्थिति में लाल तथा लाक में सफेद इंडिकेशन का प्रावधान है।

5.2.11 एफ0 आर0 के0 ई0 इंडिकेशन :-

पैनल के ऊपर दाहिने कोने पर यह इंडिकेशन लगातार जलता बुझता है तथा यह सूचित करता है कि फ्लैशिंग उपकरण ठीक अवस्था में है अन्यथा सिगनल विभाग के अनुरक्षण कर्मचारी को सूचित करना चाहिए।

5.2.12 ओवरलैप इंडिकेशन :-

प्रत्येक स्टार्टर सिगनल के निकट ओवर लैप इंडिकेशन हेतु सफेद लघु बत्ती का प्रावधान है। जिस लाइन के लिये होम सिगनल 'आफ' किया जाता है, उसके ओवर लैप में यह लघु सफेद इंडिकेशन प्रकाशित हो जाता है साथ ही ओवर लैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद प्रकाश पट्टी प्रकाशित हो जाती है। गाड़ी के बर्थिंग ट्रैक पर आगमन के पश्चात निर्धारित समयान्तराल तक यह यह इंडिकेशन जलता बुझता रहता है। इसके बुझ जाने पर ओवर लैप के कॉटों संचालन हेतु मुक्त हो जाते हैं।

5.2.13 रूट लाक इंडिकेशन :-

पैनल पर प्रत्येक सिगनल के पास उस सिगनल के रूट लाक इंडिकेशन का प्रावधान किया गया है। जब सिगनल को 'आफ' किया जाता है तब उस सिगनल का रूट लाक इंडिकेशन सफेद प्रकाशित हो जाता है। सिगनल निरस्तीकरण के बाद संरक्षा समय लगभग 120 सेकेण्ड तक यह इंडिकेशन जलता बुझता है एवं उसके बाद बुझ जाता है।

5.2.14 120 एन जे के ई इंडिकेशन :-

पैनल पर दोनों छोरों पर एक-एक सफेद इंडिकेशन का प्रावधान है। किसी गाड़ी के पूर्ण आगमन या सिगनल निरस्तीकरण के बाद संरक्षा समय लगभग 120 सेकेण्ड तक यह इंडिकेशन जलता बुझता है एवं उसके बाद बुझ जाता है। इसके बुझ जाने के बाद कॉटों प्रचालन हेतु मुक्त हो जायेंगे।

6. रिमाइन्डर कालर :-

पैनल के ऊपर बने प्रोजेक्शनों पर लाल रंग के रिमाइन्डर कालर का प्रावधान है जिन्हें आवश्यकतानुसार सिगनल या कॉटा बटन पर लगा देने से उन्हें दबाया नहीं जा सकता। इससे स्टेशन मास्टर को पहले चेतावनी मिल जाती है कि उन्हें इन बटनों को संचालित नहीं करना है।

7. क्रेन्क हैण्डिल :-

7.1 मोटर चालित कॉटों की विफलता में अथवा टेस्टिंग हेतु क्रेन्क हैण्डिल द्वारा कॉटों का संचालन किया जाता है। स्टेशन पर दो क्रेन्क हैण्डिल चाबी सी० एच० 1 तथा सी० एच० 2 का प्रावधान है। क्रेन्क हैण्डिल निकालने की विधि निम्न प्रकार है -

- (i) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित क्रेन्क हैण्डिल चाबी का वाई० एन० एवं जी० बी० एन० बटन एक साथ दबायेंगे।
- (ii) विद्युत कॉटा मशीन को आपात कालीन संचालन हेतु जब सभी शर्तें पूरी होती हैं तो पैनल पर क्रेन्क हैण्डिल बटन पर एक लाल बत्ती प्रकाशित हो जायेगी। तब स्टेशन मास्टर धीरे से क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रण चाबी को धीरे से घुमाकर निकाल लेंगे।
- (iii) इस परिशिष्ट के मद संख्या 7.3 में वर्णित विधि से कॉटों का संचालन किया जायेगा तथा कार्य पूरा हो जाने पर क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी को पुनः क्रेन्क हैण्डिल लाक में लगाकर पूर्ववत स्थिति में घुमा दिया जाय।
- (iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी का एल० एन० एवं जी० बी० एन० बटन एक साथ दबाने पर क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी लाक हो जायेगी तथा क्रेन्क हैण्डिल के एल० एन० बटन के ऊपर क्रेन्क हैण्डिल चाबी लाक होने का इंडिकेशन प्रकाशित हो जायेगा।

7.2 क्रेन्क हैण्डिल एवं उनके द्वारा नियन्त्रित कॉटों का विवरण निम्न प्रकार है –

क्रेन्क हैण्डिल संख्या	उनके द्वारा नियन्त्रित कॉटे
सी० एच० 1	201A - 201B, 202A - 202B
सी० एच० 2	203A - 203B, 204A - 204B

7.3 **कॉटा मशीन के आपात कालीन संचालन की प्रक्रिया :-**

जिन कॉटों पर मोटर कॉटा मशीन लगी है, उनका क्रेन्क हैण्डिल द्वारा संचालन करने की विधि निम्न प्रकार है –

- (क) सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के पैरा 7.1 में वर्णित विधि के अनुसार क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी निकालें। स्टेशन मास्टर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखी गयी मोटर पाइन्ट मशीन के ढक्कन की व ढक्कन के अन्दर के ताले की चाबियाँ एवं क्रेन्क हैण्डिल लेकर मोटर पाइन्ट मशीन पर जाये।
- (ख) मोटर पाइन्ट मशीन पर क्रेन्क हैण्डिल लगाने हेतु बने छिद्र पर के ढक्कन में लगे ताले को खोलें।
- (ग) ढक्कन को हटाकर चाबी लगाकर घुमा दें ताकि क्रेन्क हैण्डिल जाने के लिये साकेट में जगह बन जाये। इस कार्यवाही से मोटर पाइन्ट मशीन से बिजली की सप्लाई भी कट जाती है।
- (घ) क्रेन्क हैण्डिल को साकेट में डालकर सीधा या उल्टा आवश्यकतानुसार घुमाएं। पाइन्ट स्विच के एक तरफ से दूसरे तरफ सैट हो जाने के बाद भी क्रेन्क हैण्डिल को तब तक चलाते रहना चाहिए जब तक पाइन्ट पूर्ण रूप से सैट होकर लाक न हो जाय।
- (ङ) कार्य पूर्ण होने के बाद क्रेन्क हैण्डिल को निकाल कर चाबी घुमाकर बाहर निकाल लें ताकि पाइन्ट मशीन बिजली सप्लाई द्वारा चलाई जा सके। क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी को स्टेशन मास्टर कार्यालय में सम्बन्धित लाक में लगा दें।
- (च) पैनल पर सम्बन्धित क्रेन्क हैण्डिल के स्विच को लाक स्थिति में घुमा दें जिससे ऊपर लगी हुई सफेद लघु बत्ती प्रकाशित हो जायेगी। इस कार्यवाही से पाइन्ट मशीन पैनल द्वारा संचालन होने योग्य हो जायेगी।

नोट :- प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रेन्क हैण्डिल द्वारा परिचालित कॉटों को हाथ से प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये।

क्रम सं०	क्रेन्क हैण्डिल चाबी निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रेन्क हैण्डिल चाबी निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रेन्क हैण्डिल चाबी निकालने का उद्देश्य विफलता / परीक्षण	क्रेन्क हैण्डिल चाबी निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत सं०	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रेन्क हैण्डिल वापस करने की तिथि एवं सम	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- (छ) सिगनल विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों को अनुरक्षण अथवा टेस्टिंग के लिये क्रेन्क हैण्डिल देते समय उनसे सम्बन्धित पाइन्ट का डिस्कनेक्शन मेमो निर्धारित प्रारूप पर अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/51

किच्छा

- (ज) सम्बन्धित सिगनल विभाग के कर्मचारी से री-कनेक्शन मेमो कैंक हैण्डिल के साथ प्राप्त होने पर नार्मल कार्य प्रणाली अपनायी जाये।
- (झ) डिस्कनेक्शन की अवधि में गाड़ियों का संचालन साधारण नियम 3.69 (1), (3) एवं सहायक नियम 3.70 (1), (2) में उल्लिखित नियमानुसार किया जाय।

8 वीडर काउन्टर :-

पैनल पर निम्नलिखित छः वीडर काउन्टर का प्रावधान हैं जो पैनल द्वारा संबंधित संचालन के पश्चात् एक अंक बढ़ जाते हैं :-

1. आपात्कालीन रूट रिलीज वीडर काउन्टर (EUUYN)
2. आपात्कालीन रूट निरस्तीकरण वीडर काउन्टर (EUYN)
3. कालिंग आन सिगनल वीडर काउन्टर ।
4. सिगनल को 'आफ' से 'आन' करने के लिये वीडर काउन्टर (ई0जी0जी0एन0) (EGGN) ।
5. कैंक हैण्डिल वीडर काउन्टर
6. आपातकालीन कॉटा संचालन के लिये वीडर काउन्टर (EWN)
7. ब्लाक यन्त्र वीडर काउन्टर अलग-अलग
8. एक्सल काउन्टर का वीडर काउन्टर अलग-अलग

जब सम्बन्धित स्विच को जिसके लिये यह वीडर गणक प्रदत्त है, को चलाया जाता है तब हर बार एक उच्च डिजिटल संख्या सम्बन्धित वीडर गणक पर उभरती हैं। हर बार जब कैंक हैण्डिल का उपयोग किया जाय, तो वह संख्या जैसी कि वीडर काउन्टर द्वारा दर्ज की गयी है, को पैरा 7.3 (च) के कालम संख्या 6 में प्रविष्टि किया जाय और कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन के कार्यभार का आदान-प्रदान करते समय वीडर गणकों द्वारा दर्शायी जाने वाली संख्या की वीडर गणक रजिस्टर में अद्यतन प्रविष्टि सुनिश्चित किया जाय।

9. गाड़ियों का एक साथ आगमन / प्रस्थान / कासिंग :-

- (i) इस स्टेशन पर गाड़ियों के साथ आगमन की अनुमति है।
- (ii) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके कासिंग की अनुमति है। गाड़ियों के साथ-साथ आगमन की अनुमति निम्न प्रकार है :-
- (क) अप गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और
अप गाड़ी का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान
- (ख) अप गाड़ी का लाइन संख्या 3 पर आगमन
और
अप गाड़ी का लाइन संख्या 2 या 1 से प्रस्थान
- (ग) डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और
डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान
- (घ) डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 3 पर आगमन
और
डाउन गाड़ी का लाइन संख्या 2 या 1 से प्रस्थान

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदुई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदुई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/51

किच्छा

9.1 गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना –

- (i) मेन लाईन सं० 2 से गाड़ियाँ बिना रुके सीधे जा सकती हैं।
(ii) लूप लाईन सं० 1 तथा 3 से गाड़ियाँ नियमानुसार प्रतिवन्धित गति से सीधा जा सकती हैं।

10. कॉटें,सिगनल तथा रुट बटन के संचालन की तालिका –

क्रम सं०	गाड़ी संचालन	प्रचारित किये जाने वाले कॉटा बटन		सिगनल बटन दबायें	रुट बटन दबायें	समपार फाटक संख्या बंद
		नार्मल	रिवर्स			
1	अप गाड़ी का बहेड़ी से आगमन –					
i)	लाइन संख्या 1 पर डैड एण्ड बनाकर।	202, 203	204	एस-12	बी	38, 39
ii)	लाइन संख्या 1 पर मेन लाइन बनाकर।	201, 203	202, 204	एस-12 एस-6	बी एफ	38, 39
iii)	लाइन संख्या 3 डैड एण्ड बनाकर।	201, 204	203	एस-12	सी	38, 39
iv)	लाइन संख्या 3 पर मेन लाइन बनाकर।	202	203, 201	एस-12 एस-8	सी एफ	38, 39
v)	लाइन संख्या 2 पर आगमन	201, 202, 203, 204	–	एस-12	ए	38, 39
vi)	गाड़ी का लाइन संख्या 2 से रन थू जाना।	201, 202, 203, 204	–	एस-2 एस-4 एस-12	ई एफ ए	38, 39
2	डाउन गाड़ी का पन्तनगर से आगमन –					
i)	लाइन संख्या 1 पर डैड एण्ड बनाकर।	201, 204	202	एस-1	बी	39
ii)	लाइन संख्या 1 पर मेन लाइन बनाकर।	201, 203	202, 204	एस-1 एस-7	बी जी	39
iii)	लाइन संख्या 3 डैड एण्ड बनाकर।	202, 203	201	एस-1	सी	39
iv)	लाइन संख्या 3 पर मेन लाइन बनाकर।	202, 204	201, 203	एस-1 एस-9	सी जी	39
v)	लाइन संख्या 2 पर आगमन	201, 202, 203, 204	–	एस-1	ए	39
vi)	गाड़ी का लाइन संख्या 2 से रन थू जाना।	201, 202, 203, 204	–	एस-11 एस-5 एस-1	एच जी ए	38, 39

(के०एस०सोनाल)
म० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पच्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/51

किच्छा

3	अप गाड़ी का पन्तनगर को प्रस्थान –					
i)	लाइन संख्या 1 से प्रस्थान ।	201	202	एस-2 एस-6	ई एफ	39
ii)	लाइन संख्या 2 से प्रस्थान ।	201, 202	–	एस-2 एस-4	ई एफ	39
iii)	लाइन संख्या 3 से प्रस्थान ।	202	201	एस-2 एस-8	ई एफ	39
4	डाउन गाड़ी का बहेड़ी को प्रस्थान –					
i)	लाइन संख्या 1 से प्रस्थान ।	203	204	एस-11 एस-7	एच जी	38
ii)	लाइन संख्या 2 से प्रस्थान ।	203, 204	–	एस-11 एस-5	एच बी	38
iii)	लाइन संख्या 3 से प्रस्थान ।	204	203	एस-11 एस-9	एच जी	38
5	अप षंटिंग, सिगनल संख्या एसएच-32 से –					
i)	लाइन संख्या 1 पर आगमन ।	203	204	एसएच-32	बी	38
ii)	लाइन संख्या 2 पर आगमन ।	203, 204	–	एसएच-32	ए	38
iii)	लाइन संख्या 3 पर आगमन ।	–	203	एसएच-32	सी	38
6	डाउन षंट सिगनल संख्या एसएच-31 से –					
i)	लाइन संख्या 1 पर आगमन ।	201	202	एसएच-31	बी	39
ii)	लाइन संख्या 2 पर आगमन ।	201, 202	–	एसएच-31	ए	39
iii)	लाइन संख्या 3 पर आगमन ।	202	201	एसएच-31	सी	39
7	अप शन्ट पन्तनगर की ओर –					
i)	लाइन संख्या 1 के षंट सिगनल संख्या एसएच-26 से ।	201	202	एसएच-26	एफ	39
ii)	लाइन संख्या 2 के षंट सिगनल संख्या एसएच-24 से ।	201, 202	–	एसएच-24	एफ	39
iii)	लाइन संख्या 3 के शंट सिगनल संख्या एसएच-28 से ।	–	201	एसएच-28	एफ	39

(के०एस०सोनाल)
म० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 समिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/51

किच्छा

8	डाउन शन्ट बहेड़ी की ओर –					
	लाइन संख्या 1 के शंट सिगनल संख्या एसएच-27 से।	203	204	एसएच-27		39
i)	लाइन संख्या 2 के शंट सिगनल संख्या एसएच-25 से।	203, 204	–	एसएच-25		39
	लाइन संख्या 3 के शंट सिगनल संख्या एसएच-29 से।	–	203	एसएच-29		39
9	अप / डाउन गाड़ी का कालिंग ऑन सिगनल पर आगमन –					
(क)	डाउन गाड़ी का कालिंग ऑन सिगनल पर आगमन –					
i)	लाइन संख्या 1 पर आगमन ।	201	202	सी-3	बी	39
ii)	लाइन संख्या 2 पर आगमन ।	201, 202	–	सी-3	ए	39
iii)	लाइन संख्या 3 पर आगमन ।	–	201	सी-3	सी	39
(ख)	अप गाड़ी का कालिंग ऑन सिगनल पर आगमन –					
i)	लाइन संख्या 1 पर आगमन ।	203	204	सी-10	बी	38
ii)	लाइन संख्या 2 पर आगमन ।	203, 204	–	सी-10	ए	38
iii)	लाइन संख्या 3 पर आगमन ।	204	203	सी-10	सी	38

11. दूर संचार –स्टेशन मास्टर कार्यालय में निम्न टेलीफोन प्रदत्त हैं–

1. इज्जतनगर नियंत्रण कार्यालय से सम्बद्ध नियंत्रण टेलीफोन।
2. बी०एस०एन०एल० फोन।
3. बहेड़ी स्टेशन के टोकनलेस ब्लॉक यंत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन।
4. पन्तनगर स्टेशन के टोकनलेस ब्लॉक यंत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन।
5. ट्राफिक समपार संख्या 38/स्पेशल (किच्छा-बहेड़ी) किमी० 46/7-8 से सम्बद्ध मैगनेटो टेलीफोन।
1. ट्राफिक समपार संख्या 39/सी किमी० 47/7-8 से सम्बद्ध मैगनेटो टेलीफोन।
7. किच्छा-बहेड़ी स्टेशनों के मध्य स्थित इन्जीनियरिंग समपार संख्या 36/स्पेशल किमी 43/3-4 से सम्बद्ध मैगनेटो टेलीफोन।
8. बी०एच०एफ० सेट 25 वाट।

11A. संचार साधनों की विफलता के दौरान कार्यवाही –

साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट ख पार्ट-।। परिशिष्ट घ एवं साधारण एवं सहायक नियम 14.13 के नोट बी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(के०एस०सोनाल)
म० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

12. इकहरी लाइन के लिये एक्सल काउन्टर सहित सहकारी डायडो टाइप टोकेनलैस ब्लाक उपकरण की बनावट का विवरण

इस उपकरण की बनावट का विवरण निम्न प्रकार है :-

- 1 **गैलावनोस्कोप –**
यह अपने तथा जाने वाली डी०सी० धारा के कारण विचलित होता है। जब दोनों ओर के किसी भी स्टेशन मास्टर द्वारा बटन दबाया जाता है तो इसकी सुई विचलित होती है।
- 2 **समय समाप्ति सूचक –**
यह उपकरण के सामने बाँयी ओर लगा होता है। लाइन क्लीयर निरस्तीकरण के समय साठ सेकेण्ड के समय अन्तराल की सूचना देता है। सामान्यतया यह सूचक सफेद पट्टी पर लाकड लिखा रहता है और साठ सेकेण्ड के समय अन्तराल के बाद खत्म (हरी पट्टी पर) लिखा हुआ आता है।
- 3 **स्विच एस ए 1 –**
धातु का बना यह स्विच लाइन के निरस्तीकरण के लिये उपयोग किया जाता है जब गाड़ी ब्लाक खण्ड में ना पहुँची हो।
- 4 **स्विच एस ए 2 –**
धातु का बना यह स्विच पुश बैक मूवमेन्ट के दौरान होम सिगनलों को आफ करने के लिये प्रयुक्त होता है तथा गाड़ी को भेजने वाले स्टेशन पर वापिस लिया जाता है।
- 5 **टी०ओ०एल० सूचक –**
यह उपकरण के सामने दायी ओर लगा रहता है। सामान्यतया यह सफेद रंग की पट्टी के रूप में रहता है और जैसे ही गाड़ी ब्लाक खण्ड में प्रवेश करती है तो लाल रंग की पट्टी में 'ट्रेन आन लाइन' प्रदर्शित करता है।
- 6 **पुश बटन पी०बी० 1 –**
धातु की घुण्डी के रूप में यह बटन घण्टी कोड देने के लिये प्रयुक्त होता है और आटो टी०ओ० एल० संकेतन को गाड़ी आगमन स्टेशन के द्वारा एकनालेज करने में प्रयुक्त होता है।
- 7 **ब्लाक हैण्डिल –**
यह धातु का हैण्डिल उपकरण के सामने की ओर लगा रहता है। इसका हत्था ऊपर की ओर लाइन क्लोज्ड पोजीशन (एन) प्रदर्शित करता है। गाड़ी ब्लाक खण्ड में जा रही है (एल) प्रदर्शित करता है। गाड़ी आ रही है (आर) प्रदर्शित करता है।
- 8 **पुश बटन पी० बी० 2 –** पी० बी० 1 के साथ दबाने पर कोड भेजता है।
- 9 **सिंगिल स्ट्रोक बेल –**
धातु की यह घन्टी उपकरण के ऊपर लगी रहती है। जब दूसरा स्टेशन बेल कोड भेजता है तो इसकी हथौड़ी इससे टकराकर घन्टी की आवाज देती है।
- 10 **स्टेशन मास्टर चाबी –**
जब यह नहीं लगी रहती है तब उपकरण के सारे कार्य बन्द हो जाते हैं। केवल दूसरे स्टेशन के द्वारा बजायी गयी घन्टी बजती है तथा टी० ओ० एल० कोड भेजा जाता है।
- 11 **शॉटिंग चाबी –**
यह ब्लाक उपकरण में लगी रहती है तथा यह केवल तभी निकाली जा सकती है जब ब्लाक उपकरण का हैण्डिल नार्मल स्थिति में होता है या ट्रेन गोइंग टू स्थिति में होती है। यह चाबी तभी निकाली या लगायी जा सकती है जब स्टेशन मास्टर चाबी लगी हो तथा घुमी हुई हों।

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

- 12 **काउन्टर्स (गणक)–**
काउन्टर एक और काउन्टर दो केवल स्विचों (एस 1 तथा एस 2) के कार्य की गणना करता है।
- 13 **टेलीफोन (एच०एम०टी०)–**
यह उपकरण के दौयी ओर बातचीत करने के लिये लगा होता है तथा इसमें दबाने वाला बटन लगा होता है।
- 12.1 **इकहरी लाइन पर सहकारी टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र को संचालित करने की पध्दति :-**
(क) **‘ए’ स्टेशन से ‘बी’ स्टेशन पर गाड़ी भेजने की प्रक्रिया –**

स्टेशन ‘ए’		स्टेशन ‘बी’	
	ब्लाक उपकरण ‘लाइन क्लोज्ड’ स्थिति में रहेगा और सभी सिगनल ‘आन’ की स्थिति में होंगे		ब्लाक उपकरण ‘लाइन क्लोज्ड’ स्थिति में रहेगा और सभी सिगनल ‘आन’ की स्थिति में होंगे
1	स्टेशन मास्टर की कुंजी को डालिये ओर घुमाइये		
2	पी० बी० 1 से ध्यान आकर्षित करिये एवं टेलीफोन पर उपस्थित हों	3	ध्यानाकर्षण (काल अटैन्शन) का प्रति उत्तर दीजिये एवं टेलीफोन पर उपस्थित हों
		4	स्टेशन मास्टर की कुंजी को डालिये ओर घुमाइये
		5	पी० बी० 1 को दबाकर बेल कोड का प्रति उत्तर दें
6	बेल कोड सिगनल का प्रति उत्तर प्राप्त करें		
7	टेलीफोन अटैण्ड करें	8	टेलीफोन कोड प्राप्त करें तथा टेलीफोन पर बात करें
9	टेलीफोन पर बात करके लाइन क्लीयर पूछिये	10	लाइन क्लीयर सम्बन्धी पूछताछ का जवाब दें
11	पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को दबाकर लाइन क्लीयर मॉगिये	12	बात होने के बाद एक के बाद बटनों को दबाये जाने के बाद गैल्वो की सुई को देखते हुए हैण्डिल को धीरे-धीरे टी०सी०एफ० की तरफ घुमायें
13	गैल्वो की सुई में हल्का झटका देखने के बाद पी० बी० 1 को तथा पी० बी० 2 को छोड़ें	14	अब आप पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को दबायें
15	हैण्डिल को धीरे-धीरे टी०जी०टी० स्थिति में लायें	16	गैल्वो की सुई को देखते रहें तथा हल्का सा हिलने पर पी 0 बी0 1 तथा पी० बी० 2 को छोड़ें
17 क	अन्तिम रोक सिगनल को आफ करें		
ख	ब्लाक खण्ड में गाड़ी प्रवेश करती है।		
ग	अन्तिम रोक सिगनल स्वतः आन हो जाता है तथा डिपार्चर बजर बोलेगा	18	टी०ओ०एल० संकेतन बजने / दिखने पर पी०बी० 1 एकनालेज करें

19	टी०ओ०एल० बजर बन्द हो जायेगा	20	टी०ओ०एल० बजर बन्द हो जायेगा
		21 क	आगमन सिगनलों को आफ करें
		ख	गाड़ी स्टेशन पर प्रवेश करती है।
		ग	प्रथम रोक सिगनल आन की स्थिति में लौट आता है
		घ	गाड़ी के आगमन पर बजर बजने लगता है जो कि रूट रिलीज होने के बाद स्वतः बजर बजना बन्द हो जायेगा।
		22	पी० बी० 1 को तथा पी० बी० 2 को दबाकर गाड़ी आगमन तथा ब्लाक सैक्शन क्लीयर की सूचना दें
23	ब्लाक यन्त्र के हैण्डिल को धीरे-धीरे लाइन क्लोज्ड स्थिति में लाइये	24	गैल्वो की सुई हिलने के बाद पी० बी० 1 को तथा पी० बी० 2 को छोड़ें
25	पी० बी० 1 को तथा पी० बी० 2 बटनो को दबायें	26	हैण्डिल को धीरे-धीरे क्लोज्ड स्थिति में लायें
27	गैल्वो की सुई हिलने के बाद पी० बी० 1 को तथा पी० बी० 2 को छोड़ें		

(ख) ब्लाक खण्ड में प्रवेश से पहले लाइन क्लीयर निरस्त करने की प्रक्रिया :-

स्टेशन 'ए'		स्टेशन 'बी'	
	ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रधान संकेत को प्रदर्शित करता है और सभी अन्तिम रोक सिगनल आन की स्थिति में रहते हैं।		ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रधान संकेत को प्रदर्शित करता है और सभी अन्तिम रोक सिगनल आन की स्थिति में रहते हैं।
1	पी० बी० 1 दबाकर स्टेशन 'बी' को बुलायें तथा लाइन क्लीयर निरस्तीकरण की बात करें।	2	टेलीफोन पर विस्तार से बात करें
3 क	स्टेशन मास्टर की कुन्जी लगाकर घुमाइये		
ख	स्विच एस 1 को घुमाएं		
ग	काउन्टर गणक अगली संख्या अंकित करता है		
घ	दो मिनट के समय अन्तराल के बाद फ्री इंडिकेशन जलेगा। पी० बी० 1 तथा पी० बी० 2 को दबायें	4	घन्टी सुनने के बाद गैल्वो को देखते हुए हैण्डिल को लाइन क्लोज्ड स्थिति में लायें
		5	हैण्डिल नार्मल होने के बाद पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को दबायें
6	हैण्डिल को टी०जी०टी० से नार्मल में लायें तथा एस 1 को नार्मल करें		

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

- (ग) यदि किसी गाड़ी को भेजने वाले स्टेशन पर ही वापस लौटना है तब ब्लाक उपकरण को सामान्य करने की प्रक्रिया :-

स्टेशन 'ए'		स्टेशन 'बी'	
	ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रथान तथा लाइन पर गाड़ी है		ब्लाक उपकरण गाड़ी आगमन तथा लाइन पर गाड़ी है।
1	एस 2 स्विच घुमाइये		
2	काउन्टर पर अगला नम्बर देखें		
3	आगमन संकेतक आफ करें तथा गाड़ी आगमन पर आगमन संकेतक स्वतः आन हो जायेगा। आगमन बजर को सुनें		
4	गाड़ी आगमन की सूचना पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 दबाकर भेजें	5	घन्टी सुनने के बाद हैण्डिल को लाइन क्लोज्ड स्थिति में लायें
		6	पी 0 बी0 1 तथा पी0 बी0 2 को दबायें
7	एस 2 को नार्मल करें तथा ब्लाक उपकरण हैण्डिल को नार्मल करें		

- (घ) अन्तिम रोक सिगनल तथा विपरीत दिशा के प्रथम रोक सिगनल के मध्य शन्टिंग की प्रक्रिया :

स्टेशन "ए"	स्टेशन "बी"
ब्लाक उपकरण लाइन क्लोज्ड की स्थिति में हो तथा डिस्टेन्ट, होम एवं अन्तिम रोक सिगनल "आन" की स्थिति में हो।	ब्लाक उपकरण लाइन क्लोज्ड की स्थिति में हो तथा डिस्टेन्ट, होम एवं अन्तिम रोक सिगनल "आन" की स्थिति में हो।
1. स्टेशन मास्टर की चाबी लगाइये तथा घुमाइये।	
2.(क) शन्टिंग चाबी को बाहर निकालिये (ख) शन्टिंग चाबी ड्राइवर को दे दीजिये।	
3.(क) शन्टिंग कार्य समाप्त हो जाने के बाद ड्राइवर शन्टिंग चाबी को स्टेशन मास्टर को वापस कर देता है।	
(ख) शन्टिंग चाबी को उसके स्थान पर लगा दिया जाता है।	

- (ङ) अन्तिम रोक सिगनल और विपरीत दिशा के प्रथम रोक सिगनल के मध्य जाने वाली गाड़ी के पीछे जब ब्लाक उपकरण गाड़ी के प्रस्थान का संकेत दे रहा हो तब शन्टिंग करने की प्रक्रिया :-

स्टेशन "ए"	स्टेशन "बी"
ब्लाक उपकरण गाड़ी प्रस्थान की स्थिति तथा डिस्टेन्ट, होम एवं अन्तिम रोक सिगनल "आन" स्थिति में हो।	ब्लाक उपकरण गाड़ी आगमन का संकेत दे रहा है।
1. स्टेशन मास्टर की चाबी लगाइये तथा घुमाइये।	

2.(क) शन्टिंग चाबी को बाहर निकालिये।	
(ख) शन्टिंग चाबी ड्राइवर को दे दीजिये।	
स्थिति-1 : यदि शन्टिंग कार्य गाड़ी पहुँचने से पहले समाप्त हो जाता है :	
3.(क) शन्टिंग कार्य समाप्त हो जाने पर ड्राइवर शन्टिंग चाबी को स्टेशन मास्टर को लौटा देता है।	
(ख) शन्टिंग चाबी ब्लाक उपकरण में लगायें	4. स्टेशन 'ए' से फोन द्वारा सूचना प्राप्त करें
स्थिति-2 : यदि शन्टिंग कार्य समाप्त होने के पहले ही गाड़ी पहुँच जाती है और स्टेशन "बी" ब्लाक उपकरण पर लाइन क्लोज्ड करने में असमर्थ हो जाता है, तथा स्टेशन "ए" की शन्टिंग चाबी बाहर रहने की स्थिति में	
	9 स्टेशन 'ए' से टेलीफोन पर बात करके वस्तु स्थिति की जानकारी लें
2.(क) शन्टिंग कार्य समाप्त हो जाने पर ड्राइवर शन्टिंग चाबी को स्टेशन मास्टर को लौटा देता है।	
(ख) शन्टिंग चाबी को ब्लाक उपकरण में लगायें	
(ग) स्टेशन 'बी' को शन्टिंग समाप्त होने की सूचना दे	3.(क) टेलीफोन पर शन्टिंग समाप्त होने की अभिस्वीकृति दीजिये।
	(ख) ब्लाक उपकरण को लाइन क्लोज्ड स्थिति में कर दे।

13 कलर लाइट सिगनलों को प्रकाशित करने की व्यवस्था :

- (1) इस स्टेशन पर सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये इन्टीग्रेटेड पावर सप्लाय सिस्टम (आई०पी०एस०) का प्रावधान किया गया है जिससे सभी सिगनल लगातार प्रकाशित रहेंगे। आई०पी०एस० की मॉनिटरिंग के लिये स्टेशन मास्टर के पैनल कक्ष में आडियो विजुअल आई०पी०एस० स्थित प्रकाशित बोर्ड लगाया गया है जिसमें निम्न सूचनाएं प्रकाशित होंगी :-
- (2) सामान्यतया छः हरी बत्ती दो पीली, तथा दो लाल बत्ती सदैव जलती रहती है। अन्य लाल बत्तियाँ बुझी रहती हैं।
- (क) छः हरी बत्ती आई०पी०एस० की बैट्री का वोल्टेज 120 वोल्ट तक होने पर जलती हैं, जो कि बैट्री वोल्टेज दो वोल्ट के अन्तराल में कम होने पर क्रमशः बुझती है जाती हैं।
- (ख) बैट्री का वोल्टेज 120 वोल्ट से कम होने पर ऊपर से छठी हरी बत्ती बुझती है तथा बजर के साथ जनरेटर चलाने हेतु अलार्म बजता है। अतः इस स्थिति में जनरेटर चलाकर बैट्री चार्ज की जानी चाहिए।

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

- (ग) जनरेटर न चलने की दशा में बैट्री वोल्टेज कम होने पर दोनों पीली बल्लियाँ बुझती हैं तथा आपात कालीन जनरेटर स्टार्ट अलार्म बजता है एवं सिगनल व्यवस्था अकार्यशील हो जायेगी।
- (घ) जनरेटर स्टार्ट करने के लिये जनरेटर पैनल पर प्रदत्त पुश बटन को दबाया जायेगा अथवा जनरेटर के हैण्डल के माध्यम से डी०जी०सैट चलाया जायेगा।
3. इस स्टेशन पर सम्पूर्ण सिगनल व्यवस्था आई०पी०एस० से संचालित है। इस आपूर्ति के विफल होने पर विफलता के कारणों को दूर कर पुनः सामान्य किया जा सकता है।
- (क) जनरेटर कक्ष में लगे चेन्ज ओवर स्विच 'ए' जो सामान्य स्थिति में सदैव कमर्शियल पावर सप्लाई की तरफ लगा रहता है, को जनरेटर साइड में लगा देंगे।
- (ख) इस स्टेशन पर दो जनरेटर क्रमशः जनरेटर संख्या 1 एवं जनरेटर संख्या 2 लगे है। जनरेटर कक्ष में जनरेटर चेन्ज ओवर स्विच 'बी' लगा है जो सामान्य बीच में रहता है, जनरेटर को चालू करने के पश्चात सम्बन्धित स्विच को चालू हुए जनरेटर की तरफ लगा दिया जाये।
- (ग) सामान्यतया स्टेशन मास्टर स्टैण्डबाई जनरेटर संख्या 1 को चालू करेगा। इसके विफल होने पर जनरेटर संख्या 2 का प्रयोग किया जायेगा।
- (घ) आई०पी०एस० अधिक अवधि तक विफल रहने पर जनरेटर संख्या 1 तथा 2 को लगभग 4 - 4 घन्टा के अन्तराल में बदल-बदल कर चलायें।
4. जब कमर्शियल सप्लाई आ जाय तो स्विच 'ए' को कमर्शियल साइड की तरफ बदल कर लगा दें और स्विच 'बी' को मध्य स्थिति में कर दें तथा जनरेटर को बन्द कर दें।
5. जब जनरेटर में डीजल आयल भरा जाय तो स्टेशन मास्टर डीजल आयल पंजिका इसका इन्दराज तुरन्त करें। स्टेशन मास्टर डीजल जनरेटर के उपयोग का इन्दराज लाग बुक में अवश्य करें।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर पावर सप्लाई की विफलता / उपलब्धता का इन्दराज लाग बुक में निम्न प्रकार से करें।

प्रारूप

व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनरेटर प्रचालन :

क्रम सं०	तिथि	IPS का चार्जिंग समय	डी०जी०सैट चलने का समय घन्टा एवं मिनट में			डीजल आयल भरा गया मात्र लीटर में	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर	टिप्पणी
			स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	चलने का कुल समय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. डीजल जनरेटर की सर्विस ओवर हालिंग तथा मरम्मत आदि का विवरण लाग बुक के टिप्पणी कालम में इन्दराज करें।

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूर्ई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूर्ई/नि/लखनऊ

8. स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :-

आई०पी०एस०मानिट्रिंग पैनल पर आने वाले सूचकों पर विशेष ध्यान रखें एवं सूचकों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करे अन्यथा स्टेशन के सभी सिगनल बुझ जायें एवं रिले अकार्यशील हो जायेंगी।

9. आई०पी०एस० की विफलता पर अपनायी जाने वाली विधि :-

आई०पी०एस० के विफल होने पर स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन को लाइन क्लीयर देने अथवा किसी अन्य गाड़ी का परिचालन करने से पहले यह भलिभौति सुनिश्चित कर लें कि साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 के अनुसार गाड़ी लेने की व्यवस्था कर ली गयी है।

14. कालिंग आन सिगनल :-

कालिंग आन सिगनल होम सिगनल के नीचे छोटे पीले प्रकाश के रूप में दिया गया है। सामान्य दशा में यह अप्रकाशित रहता है। जब कभी होम सिगनल विफल हो जाये या मार्ग अथवा ओवर लैप का ट्रैक सर्किट (होम सिगनल के रिप्लेसर ट्रैक सर्किट को छोड़कर) विफल हो जाये तब इसे आफ किया जाता है। कालिंग आन सिगनल को आफ करने के लिये पैनल द्वारा कॉटों को अलग-अलग सैट किया जायेगा। इसके उपरान्त कालिंग आन सिगनल का सिगनल बटन एवं रूट बटन को एक साथ दबाने पर कालिंग आन सिगनल 60 सेकेण्ड के बाद आफ हो जायेगा। कालिंग आन सिगनल आफ करने के लिये यह भी आवश्यक है कि यदि चालक गाड़ी को कालिंग आन ट्रैक सर्किट पर नहीं खड़ी करता है तो स्टेशन मास्टर चालक को बी०जी० की अप गाड़ी के लिये ए10T एवं डाउन गाड़ी के लिये ए3T कालिंग आन ट्रैक सर्किट पर लाने के लिये वाकी-टाकी पर सूचित करेगा अन्यथा कालिंग आन सिगनल आफ नहीं होगा। कालिंग आन सिगनल पर गाड़ियों का रिसैप्शन करने पर पूरी गाड़ी बर्थिंग ट्रैक पर आ जाने के बाद एवं पीछे का रूट बुझ जाने के 2 मिनट बाद ही गाड़ी चलाने के लिये सम्बन्धित स्टार्टर सिगनल टेक आफ किया जा सकेगा। इस अवधि में 120 सेकेण्ड NJKE का इंडिकेशन पैनल पर जलता रहेगा।

15. साइडिंग कॉटों का संचालन एवं कार्य विधि :- कोई नहीं।16. विफलताएं :-

संकेतन एवं अन्तर्पाशन, गाड़ी संकेतन उपकरण तथा टेलीफोन की विफलता की दशा में निम्नलिखित अधिकारियों को सूचित किया जायेगा। गाड़ी संचालन उपकरण एवं टेलीफोन की विफलता की दशा में अभियान्त्रिकी अधिकारियों को सूचित करना आवश्यक नहीं है। जब संकेतन एवं अन्तर्पाशन विफल हो जाये तो साधारण एवं सहायक नियम 3.38, 3.68, 3.69, 3.71, 3.76, 3.77, 3.81, और 5.01 में उल्लिखित प्रणाली तथा समय-समय पर जारी किये जाने वाले संयुक्त परिपत्रों और अनुदेशों का अनुपालन किया जाय।

क्र० सं०	अधिकारी / कर्मचारी जिन्हे सूचित करना है	मुख्यालय
1	यॉन्त्रिक सिगनल अनुरक्षक	किच्छा
2	विद्युत सिगनल अनुरक्षक	किच्छा
3	जे० ई० सिगनल	इज्जतनगर
4	सीनियर सैक्शन इंजी० सिगनल	इज्जतनगर
5	सहायक मण्डल सिगनल एव दूर संचार इंजी०	इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ

6	वरिष्ठ मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०	इज्जतनगर
7	वरिष्ठ मण्डल इंजी०	इज्जतनगर
8	सहायक मण्डल इंजी०	इज्जतनगर
9	सीनियर सैक्शन इंजी०-रेल पथ	भोजीपुरा
10	जूनियर इंजी०-रेल पथ	भोजीपुरा
11	मुख्य गाड़ी नियन्त्रक	इज्जतनगर
12	यातायात निरीक्षक	इज्जतनगर
13	वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबन्धक	इज्जतनगर
14	मण्डल परिचालन प्रबन्धक	इज्जतनगर
15	वरिष्ठ मण्डल संरक्षा अधिकारी	इज्जतनगर
16	वरिष्ठ मण्डल यॉन्त्रिक इंजी०	इज्जतनगर
17	चारों छोर के स्टेशन मास्टर	देवरनिया / दोहना /सेथल / इज्जतनगर

कार्यरत स्टेशन मास्टर सभी विफलताओं का सिगनल विफलता पंजिका में इन्द्रराज करें तथा सम्बन्धित ई०एस०एम० अथवा एम०एस०एम० को लिखित सूचना अवश्य दें। अनुरक्षक खराबियों को ठीक करने के उपरान्त उनमें खराबियों का विवरण कारण सहित ठीक करने का समय आदि का इन्द्रराज अपने हस्ताक्षर तिथि सहित करें और स्टेशन मास्टर से प्रति हस्ताक्षरितस भी करा लें।

(के०एस०सोनाल)
मं० परि०प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मसिदूई/इज्जतनगर

(बालक राम)
मसिदूई/नि/लखनऊ